जापान सोशल डिवेलपमेन्ट फण्ड ग्रांट फॉर केपेसिटी बिल्डिंग फॉर कम्यूनिटी फॉरेस्ट मेनेजमेंट
(जे. एस. डी. एफ. प्रोजेक्ट)

मार्गदर्शिका

आजीविका संवर्धन के लिये समन्वय कैसे प्राप्त करें

गांव की आजीविकाओं की पहचान – आजीविका मानचित्रण

प्रस्तुतिकरण –
TAAL
टूवर्डस एक्शन एण्ड लर्निंग
बी – 45, शाहपुरा, भोपाल

मुख्य वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना

को प्रस्तुत

विषय सूची

प्रस्तावना	02
अध्याय 1 सिवनी प्रयोग	04
1.1 सिवनी प्रयोग में अपनायी गयी प्रक्रिया	
1.2 रोजगार मूलक योजनाऐं- चुनौतियां और निवारण	
1.3 योजना दलों द्वारा चुनौतियों का निवारण	
अध्याय 2 अवधारणाऐं और परिभाषाऐं	13
2.1 आजीविका	
2.2 संस्थाऐं	
2.3 समन्वय	
अध्याय 3 समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया	19
3.1 समन्वय	
3.2. योजना दल	
3.2.1 योजना दल की आवश्यकता	
3.2.2 योजना दल का गठन	
3.2.3 योजना दल की जिम्मेदारी	
3.3 आजीविका का मानचित्रण	
3.3.1 गांव की आजीविका सम्बन्धी जानकारी	
3.3.2 परिवार की आजीविका गतिविधियों की जानकारी	
3.4 संस्थाओं का मानचित्रण	
3.4.1 संस्थाओं की पहचान और भूमिका	
3.4.2 जानकारी का प्रयोग	
3.5 विभागो के साथ सम्पर्क	
3.5.1 वन समिति की जानकारी देना	
3.5.2 कार्यशाला का आयोजनः	
3.5.3 संस्थागत सम्पर्क	
3.5.4 प्रस्तुतिकरण	
3.5.5 एक्शन प्लान	
3.6 क्षमता वर्धन - शासकीय योजना	
3.7 योजना दल के प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं अनुसरण	
3.8 फीडबैक (Feedback)	
परिशिष्ट 1ः परिवार की आजीविका जानने के लिये प्रप्रत्र	45
परिशिष्ट 2ः शासकीय योजनाओं की जानकारी	57
परिशिष्ट 3ः संस्थागत संबंधों का विश्लेषण	72

प्रस्तावना

यह मार्गदर्शिका विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना- Japan Social Development Fund Grant for Capacity Building for Community Forest Management Project- जिसको मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे प्रयासों का परिणाम है। इस परियोजना के एक घटक के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा संचालित आजीविका आधारित योजनाओं के सफल संचालन हेतु किस प्रकार समन्वय स्थापित हो, के उपाय ढूंढना है। परियोजनान्तर्गत अन्तर्विभागीय समन्वय के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किये गयेः

(अ) वनों के समीप के गांवों में रोजगाार मूलक कार्यक्रमों में संलग्न गैर शासकीय एवं शासकीय विभाग जैसे वन, ग्रामीण विकास, पशु पालन, मत्स्य पालन, कृषि, आदिम जाति एवं विकास की एजेन्सियां जैसे डी.पी.आई.पी (DPIP -District Poverty Initiative Program) ; डब्लू.एफ.पी.(WFP- World Food Program); म.प्र.ग्रा.आ.प. (MPRLP- Madhya Pradesh Rural Livelihood Programme) के बीच समन्वय को बढ़ावा देना।

(ब) आवश्यकता मूलक आजीविका कार्यक्रमों के लिये शासकीय एवं अशासकीय संगठनों का क्षमता विकास करना।

(स) उच्च गुणवत्ता के साथ आजीविका कार्यों के क्रियान्वयन हेतु इन कार्यक्रमों में संलग्न मैदानी अमले की क्षमता का विकास करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वन विभाग ने सिवनी जिलें की 30 वन समितियों को पायलेट के रूप में चयनित किया। इन समितियों मे से आठ समितियों के साथ टुवर्डस एक्शन एण्ड लर्निंग (**TAAL**) द्वारा एक सघन प्रक्रिया अपनाई गई जिसके अनुभव एवं सीखों के आधार पर वर्तमान मार्गदर्शिका का सृजन हुआ है। अपनायी गयी प्रक्रियाओं का विवरण इस पहल के अन्तर्गत तैयार किये गये निम्न तीन प्रतिवेदनों में दिया गया है। इन प्रतिवेदनों के अध्ययन करने से सिवनी में प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती हैः

- **प्रतिवेदन A** 1 (Report A1: Field Assessment- Orientation And Capacity Building of Animators; Intersectoral Analysis and Collaborative Partnerships) : इस प्रतिवेदन में उन वन समितियों के चयन के साथ-साथ सामुदायिक प्रेरकों के चयन का विवरण दिया गया है। इस चयन के उपरान्त प्रेरकों के साथ मिल कर अन्तर ऐजेन्सियों के सम्बन्ध जानने के लिये की गयी आजीविका और संस्थागत मानचित्रण की जानकारी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर संस्थाओं के बीच के रिश्तों की प्रतिकूलता (conflict), सहअस्तित्व (coexistence), सहयोग (cooperation)] और समन्वय (coexistence) के स्तर पर जो विश्लेषण हुआ उसे रेखाकिंत किया गया है।

- **प्रतिवेदन A** 2 (Report A2: Field Assessment- Analysis of Livelihood Programmes and Agencies)**:** चयनित गांवों में पहचानी गयी गतिविधियों के आधार पर जिन विभागों की पहचान की गयी। इन विभागों की आजीविका संवर्धन की योजनाओं को तालिकाबद्ध कर उनका आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। योजनाओं की सूची को इस प्रतिवेदन में दिया गयी है।

- **प्रतिवेदन B** 1 (Report B: Interagency Workshop in Seoni District)**:**

  सिवनी में अन्तर्विभागीय सम्बन्धों में समन्वय लाने की प्रक्रिया में घंसौर एवं बरघाट विकास खण्डों में अन्तर्विभागीय कार्यशाला की चर्चा और उनके सुझावों को इस प्रतिवेदन में दिया गया है। सिवनी जिले में जिला स्तर पर अन्तर्विभागीय कार्यशाला की कार्यवाही और उसकी अनुशंसाओं का इस प्रतिवेदन में दस्तावेजीकरण किया गया है।

चूंकि सिवनी का यह प्रयास वन विभाग द्वारा समर्थित था इसलिए इसमें वन समितियों और वनों के आस-पास के गांव का संदर्भ आना स्वाभाविक है। परन्तु इस मार्गदर्शिका में दी गयी प्रक्रिया एवं सिद्धान्त व्यापक हैं तथा किसी भी व्यक्ति, सरकारी या स्वयंसेवी एजेन्सी द्वारा अपनाये जा सकते है।

अध्याय 1
सिवनी प्रयोग

1.1 सिवनी प्रयोग में अपनायी गयी प्रक्रिया

यह मार्गदर्शिका मुख्तः उन कार्यकर्ताओं और ऐजन्सियों को लक्षित करती है जिनका उद्देश्य एक ऐसी समुदाय आधारित प्रक्रिया का विकास करना है जो समन्वय और कन्वरजेन्स के सिद्धांतों का प्रयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को उपयोग कर आजीविका संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हों। इस मार्गदर्शिका के लिये जो प्रक्रिया अपनायी गयी उसका उल्लेख नीचे के अनुच्छेदों में दिया गया है।

(अ) **योजना दल का गठनः**

चयनित गांव में एक ऐसे स्वैच्छिक व्यक्तियों का चयन कर एक समूह का गठन करना जिसका मुख्य उद्देश्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन विभागों की योजनाओं को गांव के हितग्राहियों तक पहुंचाना रहेगा। इस प्रक्रिया का परिणाम प्रत्येक गांव में योजना दल के गठन का था।

(ब) ***योजना दल की क्षमता वृद्धिः***

एक चरणबद्ध तरीके से योजना दल के सदस्यों की क्षमता वृद्धि करना। इसमें अपनायी गयी प्रक्रिया अनुभव आधारित प्रशिक्षण के सिद्धान्तों पर क्रियान्वित की गयी जिसमें सर्वप्रथम इन सदस्यों ने गांव में सहभागी पद्धति के माध्यम से आजाविका की गतिविधियों की पहचान की। तदुपरान्त प्रत्येक आजीविका में उन संस्थाओं को भी सूचीबद्ध किया जो उस आजीविका में किसी न किसी प्रकार की भूमिका अदा कर रही हैं। इस पहचानी गयी संस्थाओं के आपसी रिश्तों को भी आंका गया जो आगे चल कर समन्वय की रणनीति बनाने में सहायक हुई। इस चरण में जिन सहभागी पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया उनमें आजीविका मानचित्रण तथा संस्थाओं का मानचित्रण शामिल है। इन प्रक्रियाओं को योजना दल के सदस्यों के साथ मिल कर किया गया जिससे वह भी इन तरीकों और प्रक्रियाओं के उपयोग को सीख सके।

(स) **विभागवार योजनाओं की पहचानः**

गांवों में पहचानी गयी आजीविकाओं के आधार पर विभागों की योजनाओं की जानकारी एकत्रित की गयी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका, विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत तथा कुछ ऐसे हितग्राहियों के साथ सम्पर्क किया गया जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ लिया है अथवा लाभ लेने का प्रयास किया है। इसी प्रक्रिया में गांव के पंचायत प्रतिनिधियों तथा योजना दल के सदस्यों से यह जानने का प्रयास किया गया कि उनको योजनाओं की कितनी जानकारी है तथा क्या वह जानकारी पूरी तथा सही है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरुप योजना दल के आगामी क्षमतावर्धन को आधार तथा दिशा निर्धारित करने में मदद मिली।

(द) **योजना दल द्वारा आजीविका की जानकारी का एकत्रीकरणः**

अब योजना दल के लिये आवश्यक था कि वह आजीविका संवर्धन के विभिन्न आयामों पर एक दृष्टिकोण एवं समझ पैदा करे जिसके आधार पर गांव की आजीविका की वह जानकारी एकत्रित की जा सके जो आगे चल कर विभागों के लिये योजनाऐं बनाने का आधार बन सके। इसके लिये योजना दल के साथ

बैठ कर आजीविका के पांच-पूंजी मॉडल पर समझ विकसित की गयी। इसी के साथ-साथ चर्चाओं के माध्यम से एक ऐसे प्रपत्र की रूपरेखा बनायी गयी जिसके इस्तेमाल से परिवारों की आजीविका सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा सके। प्रत्येक योजना दल ने, अपने-अपने गांव में, सभी परिवारों की इस प्रपत्र के आधार पर आजीविका सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की। यहां पर उद्देश्य यह था कि योजना दल की आजीविका की समझ गहरी और प्रासंगिक हो जायेगी और वह आंकड़ों के आधार पर गांव की आजीविका कों विभागों के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर गांव की किसी विशेष स्कीम के लिये योजना का निर्माण भी कर सकेगा। योजना दल द्वारा एकत्रित आंकड़ों को कम्प्यूटर में दर्ज किया गया। इन आंकड़ों की प्रोसेसिंग कर गांव की आजीविका पर एक तस्वीर बनी जिसका योजना दल के साथ बैठ कर विश्लेषण किया गया।

(ई) विभागों के साथ सम्पर्कः

विकास खण्ड स्तर पर विभागों के साथ सम्पर्क एवं समन्वय बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गयी। इसके अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर एक अन्तर विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तथा कुछ प्रकरणों में उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क भी साधा गया। इस प्रक्रिया के केन्द्र में योजना दल के सदस्य थे तथा इन कार्यशालाओं और बैठकों का उद्देश्य योजना दल और विभागों के बीच में संवाद स्थापित करना था। संवाद की विषय वस्तु गांव की आजीविका थी जिसकी तैयारी पिछले चरण में एकत्रित की गयी जानकारी को मुद्दा बनाते हुए प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया। कार्यशालाओं और बैठकों का परिणाम यह रहा कि विभाग के अधिकारियों ने एक निश्चित तिथि में गांव आने का कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने विभाग की योजनाऐं और प्रस्ताव/ प्रकरण बनाने के तरीके की जानकारी ग्राम सभा में देने का निश्चय किया।

(फ) ग्राम सभा का आयोजनः

गांव में बैठक से पूर्व सभी लोगों को जानकारी योजना दल के सदस्यों ने दी। उन्होने गांव वालो को बैठक के माध्यम से विभाग के अधिकारियों से योजनावार जानकारी लेने के लिये लोगों को तैयार किया और उन्हें बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रेरित किया। बैठक में गांव वालों ने अलग-अलग योजनाओं में हितग्राही की पात्रता के सम्बन्ध में तथा योजनाओं में किस प्रकार का प्रमाणीकरण एवं दस्तावेज लगाने की आवश्यकता होती है की जानकारी विशेष रुप से मांगी। विभागीय अधिकारियों ने इस जानकारी के साथ-साथ प्रत्येक योजना में लगने वाला अंशदान, योजना में एक बार में कितने हितग्राहियों को लाभ मिल सकता है और योजना के अनुमोदन और उससे लाभ प्राप्त करने की समयावधि के बारे में अवगत करवाया। बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों ने हितग्राही चयन के लिये योजना दल के सदस्यों को मनोनीत किया तथा उनके माध्यम से प्रस्ताव विभाग तक पहुंचाने का निर्णय लिया।

(ज) प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरणः

योजना दल के सदस्यों द्वारा हितग्राहियों का चयन कर, प्रस्ताव बना कर, अंशदान की राशि एकत्रित कर प्रस्तावों को विभागों में प्रस्तुत किया। इसके लिये उपयुक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि, अंशदान की राशि एकत्रित करने की जिम्मेदारी हितग्राही ने स्वयं ली। आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त उसका अनुसरण करने की जिम्मेदारी योजना दल के सदस्यों ने निभायी।

इस प्रकार योजना दल और TAAL द्वारा उन बाधाओं और चुनौतियों को भी चिन्हित किया गया जो क्रियान्वयन में आड़े आ रही है जिनको उपरोक्त प्रक्रिया से दूर किया गया।

1.2 रोजगार मूलक योजनाऐं - चुनौतियां और निवारण

1.2.1 योजना का वर्गीकरण

विभागों द्वारा क्रियान्वित शासकीय संस्थाओं की योजनाओं को देखें तो यह निम्न वर्गों की हो सकती हैं:

(अ) हितग्राही मूलक योजनाऐः

इन योजनाओं का लाभ चयनित हितग्राही को ही प्राप्त होता है। अतः वह योजना हितग्राही के नाम से स्वीकृत होती है। क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योजना का लाभ चयनित हितग्राही को ही प्राप्त हो रहा है तथा जो लाभ (बीज की मात्रा, पशुधन, वित्तीय सहयोग आदि) योजना में दिया गया है वह पूरा लाभ उस तक पहुँच पा रहा है। कुछ योजनाओं में लाभ किश्तों में दिया जाता है जैसे, इन्दिरा आवास योजना, वहां अगली किश्त प्राप्त करने के लिये शर्तें होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या इन शर्तों का पालन हो रहा है यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

हितग्राही मूलक योजनायें निम्न विभागों की है। मप्र आदिवासी विकास निगम (पृष्ठ क्र. 59) की सारी योजनायें कृषि विभाग (पृष्ठ क्र. 61-65) और उद्यानिकी विभाग (पृष्ठ क्र. 66-67) की अधिकांशतः योजनायें, श्रम विभाग (पृष्ठ कं. 60 योजना कं. 2), खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (पृष्ठ क्र. 68), ग्रामीण विकास विभाग (पृष्ठ क्र. 71-72 योजना 5, 6, 8) पशु पालन विभाग (पृष्ठ क्र. 69) पर दी गई है।

(ब) समूह आधारित योजनाऐंः

आजीविका संवर्धन की कुछ योजनाऐं स्व-सहायता समूह या आजीविका-समूह के लिये निर्मित की गयी हैं। जैसे, स्वर्ण जयन्ति स्व-रोजगार योजना या मत्स्य सहकारिता योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा देना है जिससे समूह के प्रत्येक सदस्य को उस गतिविधि से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिये यह सुनिश्चित करना कि समूह ने योजनान्तर्गत सहयोग को समान रूप से इस्तेमाल करने के तरीकों पर निर्णय ले लिया है और योजना के लाभ का यथोचित ढंग से उपयोग कर रहे हैं आवश्यक है।

मत्स्योद्योग विभाग (पृष्ठ क्र. 57-58) की सारी योजनायें, कृषि विभाग (पृष्ठ कं. 61-65) की कृषक पाठशाला (3.4), प्रशिक्षण (3.5, 4.2, 6.4), भ्रमण कार्यक्रम (5.2), आई. पी. एम. ट्रेनिंग (4.9), श्रम विभाग (पृष्ठ क्र. 60 योजना कं. 1) रेशम विभाग (पृष्ठ क्र. 71) और महिला बाल विकास (पृष्ठ क्र. 60) की सारी योजनायें समूह आधारित है।

(स) आधारभूत संरचानाऐंः

जिन योजनाओं में गांव के लिये या समुदाय विशेष के लिये आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है, जैसे, खड़न्जा निर्माण, सड़क निर्माण, हैण्ड पम्प को लगाना, पशुओं के लिये पानी की व्यवस्था, आदि। उन योजनाओं में यह आवश्यक हो जाता है

कि संरचना का निर्माण स्वीकृत स्थान पर तथा स्वीकृत माप के अनुसार किया गया हो। इसमे तकनीकी सहयोग के लिये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अभियंत्रियों से मदद भी ली जा सकती है।

इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभागानुसार पृष्ठ संख्या क्र 57 से 71 में दी गई हैं।

(द) प्रशिक्षण कार्यक्रमः

विभिन्न शासकीय संस्थाओं द्वारा मानव संसाधन के विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के लिये- कृषि विभाग द्वारा एकीकृत अनाज विकास योजना, वर्मी कम्पोस्ट योजना या उद्यानिकी विभाग द्वारा फल विकास कार्यक्रम या टॉप वर्किंग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का आयोजन। इस प्रकार की योजनाओं में यह सुनिश्चित करना कि उसी व्यक्ति का चयन किया गया है जो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ ले सकता है तथा चयनित व्यक्ति पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करे एक प्रकार से वन विभाग और वन समिति की सम्मिलित जिम्मेदारी है।

इन योजनाओं की विस्तृत विभागानुसार जानकारी पृष्ठ संख्या क्र 57 से 71 में दी गई हैं।

1.2.2 योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाऐं और चुनौतियां

अन्तर्विभागीय समन्वय में जो बाधाओं और चुनौतियों को पहचाना गया वह इस प्रकार की थीं:

(अ) पंचायत संस्थाओं की प्राथमिकता*:*

सरकारी विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पचायतों एवं ग्राम सभाओं को अधिक महत्ता दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विभागों के आदेशों के अनुसार किसी भी योजना या स्कीम के क्रियान्वयन में इन संस्थाओं से अनुमोदन कराना आवश्यक है। अतः इन विभागों के लिए पंचायतों से समन्वय स्थापित करना अधिक महत्वपूर्ण है और वह यदि गांव की किसी भी प्रतिनिधि संस्था को मान्यता देती है तो भी इस संस्था और विभाग को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन करना पड़ेगा ।

(ब) जिला स्तर पर कार्यालय*:*

वर्तमान अध्ययन में जो 13 विभागों की पहचान की गई है जिनका सम्बन्ध आजीविका संर्वधन से है, उनमें से मात्र 5 विभागों के कार्यालय विकास खण्ड स्तर पर हैं। अन्य विभागों के अधिकारी जिला स्तर पर कार्यरत हैं। इससे परिवार की योजना तक पहुंच बनाने में और उससे लाभ प्राप्त करने की लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए- खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग विभाग आदि का अमला विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त नहीं है जिसकी वजह से यदि इन विभागों की योजनाओं से जुड़ाव बनाना है तो जिला स्तर तक जाना पड़ेगा।

(स) विभागों द्वारा एक साथ मांगों को भेजना*:*

विभागों द्वारा योजनाओं के अंर्तगत मांगें एक साथ राज्य स्तर पर भेजी जाती है। लाभार्थी परिवार के दृष्टिकोण से इस प्रक्रिया के कारण उनके लिए निम्न समस्याएं खड़ी हो जाती हैं:

- लाभार्थी परिवार को योजना का लाभ लेने के लिए अपना अशंदान अग्रिम राशि के रूप में जमा करना होता है। राशि जमा करने और लाभ प्राप्त करने में ६ माह तक का समय लग जाता है। गरीब परिवारों को अग्रिम राशि जमा करने के लिए या तो स्वयं की बचत का एक हिस्सा या फिर साहूकार से कर्जा लेकर जमा करना पड़ता है। अपनी बचत का एक हिस्सा अशंदान के रूप में जमा करने से परिवार का आपात स्थितियों के लिए सुरक्षित धन कम हो जाता है और परिवार की निर्भरता साहुकार पर बढ़ने की संभावना बनी रहती है। दोंनो ही स्थितियों में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ता है ।

- यदि लाभार्थी परिवार अपना प्रस्ताव समय से जमा नहीं कर पाता है तो वह जिले पर भेजी जाने वाली मांगों के चक्र में शामिल नहीं हो पाता। अपने प्रस्ताव को सम्मिलित करवाने के लिए उसे अगली मांगों के भेजे जाने तक का इंतजार करना पड़ता है जो एक वर्ष बाद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कृषि विभाग में बीजों की मांग कृषि के मौसम से चार पांच माह पहले देनी होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसानों को पहले से ही फसल, बीज का निर्णय लेना पड़ेगा और अपनी मांगें विभाग तक पहुचानी पड़ेगी। अधिकतर प्रकरणों में किसानों को योजनाओं में प्रस्ताव देने की अंतिम तिथियों की जानकारी ही नहीं होती। उनको बीज तभी मिल पाते हैं जब विभाग द्वारा उनके लिए मांगें भेज दी जाती है। ऐसी स्थिति में सभी ग्राह्य हितग्राहियों को लाभ मिले यह संभव नहीं हो सकता।

(द) योजनाओं की तकनीकी जानकारी*:*

विभागों की योजनाओं की जानकारी, किस कार्यालय को प्रस्ताव देना है, प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया तथा समयावधि, योजना को प्राप्त करने के विभिन्न चरण, आदि की जानकारी गांव वालों को नहीं है। पचांयत प्रतिनिधियों को भी विभिन्न विभागों की योजनाओं की पूर्ण जानकारी नही हैं।

(ई) पूर्ति आधारित योजनाऐंः

योजनाओं को परिवारों की आजीविका के आंकलन के आधार पर बनाया जाता है। यह योजनाऐं परिवारों की पूंजी को तो मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयास करती हैं पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह परिवार की त्वरित या प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा कर रही हों। उदाहरण के लिए एक किसान की प्राथमिक एवं त्वरित आवश्यकता सिंचाई के स्रोत विकसित करने की है। कृषि विभाग में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जहां पर उसने विकास खण्ड या संकुल स्तर पर उन किसानों की सूची बना रखी हो जिन्हे सिंचाई के स्रोतों का विकास करना है। इस प्रकार के आंकलन के अभाव में सरकारी योजना, मांग आधारित न हो कर, पूर्ति आधारित हो जाती है जिसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिये विस्तार की गतिविधियों को करना पड़ता है।

(फ) कन्वरजेन्स की कमी*:*

एक विभाग में अपनी योजनाओं में कनवरजेन्स लाने के लिये कोई प्रक्रिया या प्रणाली निर्धारित नहीं है। ना ही विभागों की योजनाओं की रूपरेखा इस प्रकार बनायी जाती है कि वह आपस में स्वतः कन्वरज होंगी। उदाहरण के लिये कृषि या उद्यानिकी विभाग की योजनाऐं इस प्रकार नहीं क्रियान्वित की जा रही हैं कि वह परिवार के स्तर पर गुणात्मक प्रभाव पैदा कर सके। यदि इन स्कीमों में किसी प्रकार का कन्वरजेन्स हो रहा है तो वह उनकी रूपरेखा या फिर क्रियान्वयन की वजह से नहीं हो रहा है।

(जी) बाधाऐं जो हितग्राही मूलक योजनाओं में चिन्हित की गयीः

विभागों के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे वह गांव के सभी व्यक्तियों की आजीविका या आवश्यकता संबंधित जानकारी रखें। इससे परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना से जुड़ाव नहीं हो पाता।

पंचायत के पास समस्त योजनाओं की जानकारी को रखने और उसे आवश्यकता अनुसार लोगों को देने या उनको जोड़ने की प्रणाली का न होना।

योजना दल की परिकल्पना इन्ही बाधाओं को दूर करने के लिए की गई थी।

(एच) बाधाऐं जो समूह आधारित योजनाओं में चिन्हित की गयीः

विभागों द्वारा समूह आधारित योजनाओं का निर्माण किया गया है तथा उनके क्रियान्वयन के विस्तृत निर्देश भी जारी किये गये हैं। इन योजनाओं के रूपांकन में जो बाधाऐं पहचानी गयी वह थीं:

- ***एक से ही व्यक्तियों का समूहः*** समूह का निर्माण एक प्रकार के व्यक्तियों (homogenous group) को मिला कर बनाने की परिकल्पना रही है। जैसे मछली पालन का समूह या फिर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का समूह या फिर शिक्षित बेरोजगारों का समूह। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि समूह एक प्रकार की ही गतिविधियों का लाभ ले पाते हैं। उदाहरण के लिये मछली पालन समूह में उन किसानों के लिये स्थान नहीं है जो मछली पालन तो नहीं करते पर उस तालाब से पानी अवश्य लेते हैं जहां मछली पालन किया जा रहा है।

- ***समूह का आंकलनः*** समूह आधारित योजनाओं से लाभ लेने के लिये एक मुख्य बिन्दु उस समूह की परिपक्वता का है- लगातार बैठकें, नियमित बचत, आपसी लेन देन आदि। इस कार्य को करने में समूह को कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं- सदस्यों का पलायन कर जाना, सदस्यों में आपसी मतभेद, साक्षरता का स्तर कम होने से रिकार्ड नहीं रख पाना आदि। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि समूह किसी बाहरी व्यक्ति से प्रेरक के रूप में मदद ले। परन्तु इस प्रेरक के मानदेय का प्रावधान सभी समूह आधारित योजनाओं में नहीं है (मछली पालन, शिक्षित बेरोगार समूह)।

(आई) बाधाऐं जो आधारभूत विकास की योजनाओं में चिन्हित की गयीः

हालांकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आने के बाद आधारभूत कार्यक्रमों में एकरूपता आ गयी है और अब गांव स्तर की योजनाओं का निर्माण हो गया है जिससे इन कार्यक्रमों की निरन्तरता भी बढ़ी है। वर्तमान में आधारभूत कार्यक्रमों में दो प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हैः

- आधारभूत कार्यों के लिये तकनीकी व्यक्तियों की कमी की वजह एस्टीमेट (estimate) बनाने में देरी।
- आधारभूत कार्यों के लिये तकनीकी व्यक्तियों की कमी की वजह से किये गये कार्यों के मूल्याकंन में देरी जिससे पेमेन्ट में देरी हो जाती है।

(जे) बाधाऐं जो प्रशिक्षण की योजनाओं में चिन्हित की गयीः

विभागों द्वारा संपादित प्रशिक्षण की योजनाओं में जो बाधाऐं पायी गयी उनमेंः

- ***एक ही बार प्रशिक्षण देनाः***

  प्रशिक्षण को दोहराने (refresher training) के प्रावधान इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नहीं होते है जिससे प्रशिक्षण के प्रभावों का पूरा असर नहीं पड़ पाता।

- ***महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमः***

  महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अन्य (पुरुषों) कार्यक्रमों को यह जानते हुए कि महिलाओं में साक्षरता का स्तर कम है और उनमें एक्सपोजर (exposure) की कमी की वजह से उनको प्रशिक्षण में अधिक समय और अलग तरीकों की आवश्यकता रहती है।

1.3 योजना दलों द्वारा चुनौतियों का निवारण

योजना दलों में आपस में समन्वय स्थापित करना

ऊपर दी गई चुनौतियों का निवारण इस प्रयोग में योजना दल द्वारा सफलता पूर्वक किया गया।

उमरडीह गांव में कोई भी व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वह आजीविका पर आंकड़े लिख सके। इसके लिये इस समिति ने बिनौरी समिति के साथ ताल मेल बिठा कर उनके सदस्यों को अपने गांव आमन्त्रित किया और आंकड़े एकत्रित करने का कार्य पूरा किया। जैसे जैसे योजना दल अपने कार्यों में अनुभव प्राप्त करता है वह इस अनुभव को अन्य योजना दलों के साथ भी बांट सकता है तथा उन योजना दलों की मदद भी कर सकता है।

गांव के व्यक्तियों को बैठकों में आने के लिये प्रेरित करना

योजना दल के सदस्यों ने गांववालों से सम्पर्क किया। गांव में विभागों की बैंठक के पूर्व एक बैठक 'रंगमंच' पर बुलाई गई। बैठक में विभाग के प्रतिनिधियों का गांव में आने की तारीख और उद्देश्य बताये गये। जब विभाग के प्रतिनिधि गांव में आये तो बैठक में उपस्थिति अच्छी थी।

विभागों और लोगों के सम्पर्क को सघन करना

विशेष रुप से जहां विभागों में मैदानी अमले की कमी है वहां अधिकारियों के पास गांव में होने वाली बैठकों के लिये समय निकालने की दिक्कत रहती है। उदाहरण के लिये पशु पालन विभाग के डाक्टर और अन्य कर्मचारियों का समय विकास खण्ड के क्लीनिक में या फिर पशु शिविर लगाने में लग जाता है। गांव की बैठक एक अतिरिक्त बोझ लगती है और वह इस प्रकार की बैठकों में जाने से झिझकते हैं। ऐसी स्थिति में बिनौरी गांव के योजना दल ने गांव की बैठक के स्थान के पास ही गांव के जानवरों को भी एकत्रित किया। इससे डाक्टर तो बैठक में भागीदारी निभा रहे थे और उनके सहयोगी पास में ही जानवरों को टीके लगा रहे थे। सामान्यतः सहायक को यह टीके घर-घर जा कर लगाने पड़ते और उसे इस कार्य में दिन भर लग जाता। परन्तु योजना दल के सहयोग से यह सारा कार्य 2 घंटे में ही पूरा हो गया।

एक मुश्त प्रस्तावों को विभागों को प्रेषित करना

चूंकि विभाग के अधिकारियों को अपनी योजनाऐं पूरे विकास खण्ड में लागू करनी होती हैं तो वह किसी विशेष गांव के लिये अधिक समय या ऊर्जा लगााने को प्रेरित नहीं होते। इसके लिये योजना दल ने जब विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित किया तो उन्हे यह आश्वासन भी दिया कि योजना दल का उद्देश्य एक मुश्त गांव से कई प्रकरण और प्रस्ताव बनाने का है। इससे अधिकारियों को यह लगने लगा कि योजना दल के साथ जुड़ने से उनके वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद मिलेगी और वह ज्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना पायेंगे।

योजना दल ने गांव में बैठकों के लिये पशु पालन विभाग के अधिकारियों से जब सम्पर्क किया तो उन्हें यह जानकारी दी कि उनके गांव में 11 परिवार ऐसे हैं जो वर्तमान में मुर्गी पालन कर रहे है। यह 11 परिवार मुर्गी पालन की योजना के संभावित हितग्राही हो सकते है।

लोगों की जरूरतों का योजना से तालमेल बैठाना

उद्यानकी विभाग की मिनीकिट योजना में सब्जियों और फलों की रोपणी के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना है। एक मिनीकिट में 100 ग्राम के गाजर, मूली, बरवटी, तुलसी, करेला, पालक, मेथी के बीज होते है।। ग्राम वासियों ने इच्छा प्रकट की कि उन्हें सारे बीज नहीं चाहिये। हर व्यक्ति की अलग मांग थी। विभाग के कर्मचारी ने मिनीकिट में से बीज निकाल कर अलग-अलग लोगों में बांट दिये। इस तरह 21 मिनीकिट में से 34 परिवारों को लाभान्वित किया जा सका। विभागीय कर्मचारी को इस योजना की कमी

का एहसास हुआ। योजना दल के कारण ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया गया इससे वे प्रसन्न थे।

अंशदान के लिये राशि का इन्तजाम करना

सिवनी में पशुपालन विभाग की योजनाओं को प्राप्त करने के लिये हितग्राही द्वारा अंशदान देने की आवश्यकता थी। हितग्राहियों के पास यह रकम उस समय उपलब्ध नहीं थी।

योजना दल का वन समिति के साथ करीबी जुड़ाव होने के कारण उसने वन समिति से हितग्राही को यह राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध करवा दी जिससे वह अपना अंशदान जमा कर सके। यह राशि वन समिति ने चक्रीय राशि के रुप में गांव को उपलब्ध करवायी जिससे अगले वर्ष जब हितग्राही पैसा वापस करेगा तो यह राशि किसी अन्य परिवार को मदद देने में इस्तेमाल की जा सके।

सही वक्त पर अंशदान दे पाये इसके लिये गांव में अगर बचत समूह हो तो यह समस्या हल हो सकती है। एन.आर.ई.जी.ए. योजना के अंतर्गत सभी परिवरों के बैंक खाते खोल कर उनमें मजदूरी जमा की जा रही है। इस अवसर का इस्तेमाल कर समुदाय में बचत की आदत विकसित की जा सकती है।

इसके अलावा यह संभव है कि योजना से मिलने वाले लाभ के लिये खर्चे कम किये जा सकते है

अधिकतर योजनाओं के अर्न्तगत मिलने वाली सामग्री को विकास खण्ड से जा कर लाना पड़ता है जिससे परिवहन व्यय बढ़ जाता है। इससे निबटने का एक उपाय है कि गांव से एक ऐसी संख्या में प्रस्ताव भेजे जायें कि सामग्री सीधे गांव में ही उतारी जा सके। उदाहरण के लिये मुर्गी पालन के लिये यदि गांव से 10 या उससे अधिक के प्रकरण स्वीकृत होते हैं तो यह मुर्गियां सीधे गांव में भेजी जाती हैं। इससे प्रति व्यक्ति परिवहन पर आने वाले खर्चे तो कम होंगे और सभी को योजना का लाभ एक साथ और जल्दी मिल जायेगा।

इस प्रकार समन्वय की प्रक्रिया में योजना दल ने स्वयं वह सब कार्य किये जिनके माध्यम से वह विभागों के साथ समन्वय बना सकता है तथा इस रिश्ते में निरन्तरता ला सकता है। यह अनुभव योजना दल के लिये आवश्यक था जिससे उसे काम करने का तरीका तो पता ही चले साथ-साथ इस प्रकार का काम कर उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और उसे विभागों के साथ समन्वय बनाने की शुरुआत भी हो सकेगी।

पशुपालन

प्राकृतिक

पशुओं की नस्ल
चारे की उपलब्धता

आर्थिक

चारा खरीद पाने की क्षमता
पशु बाजार की समझ
ऋण और उसको चुका पाने की क्षमता

सामाजिक

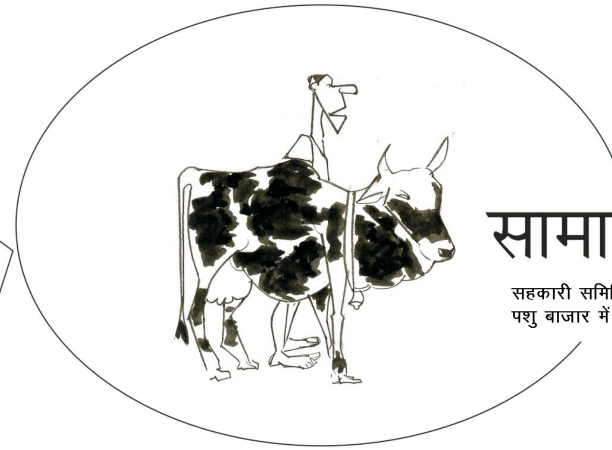

सहकारी समिति की सदस्यता
पशु बाजार में पहचान

मानवीय

जानवरों की प्राथमिक इलाज का ज्ञान
पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति

भौतिक

पशुओं की संख्या
पशुओं के खड़े होने का स्थान
पशुओं को चारा खिलाने के उपकरण

अध्याय 2
अवधारणाऐं और परिभाषाऐं

मार्गदर्शिका के इस भाग में जिन अवधारणाओं और शब्दों का प्रयोग विशेष सन्दर्भ में किया गया है उनको इस अध्याय में परिभाषित किया जा रहा है।

2.1 आजीविका

साधारण भाषा में समझे तो आजीविका उन सब तौर-तरीकों को कहते है जिससे एक परिवार जीवन यापन करता है। विकास के सन्दर्भ में आजीविका में एक परिवार की सम्पत्ति एवं पूंजी, क्षमता एवं कार्यकुशलता और वह सब गतिविधियां शामिल है जिससे उस परिवार का जीवन संचालित होता है। उदाहरण के लिये झिलमिली गांव, जो सिवनी जिलें में स्थित है, के रामकृष्ण के परिवार की आजीविका को देखें तो पायेंगे कि इस परिवार में 7 व्यक्ति है जिनमें 2 व्यक्तियों की उम्र 10 वर्ष से कम है और 2 व्यक्ति 10 से 18 बर्ष की उम्र के हैं और अन्य 3 व्यक्तियों की उम्र 35 वर्ष से अधिक है। रामकृष्ण के परिवार के पास 0.5 एकड़ असिंचित जमीन है। परिवार में कोई भी जानवर नहीं है इसीलियें रामकृष्ण अपने खेत की जुताई किराये से करवाता है जिसके लिये उसे 500 रुपये देने पड़ते हैं। रामकृष्ण अपने खेत में ज्वार और मसूर घर के लिये उगाता है और सोयाबीन बाजार में बेचने के लिये। सोयाबीन के लिये बीज अैर खाद बाजार से खरीद कर लाता है। औसतन उसके खेत में 1.5 क्विंटल सोयाबीन हो जाता है जिसके लिये पिछले वर्ष उसे रूपये 1950 प्राप्त हुए थे। रामकृष्ण का परिवार वनों पर आश्रित है। जंगल से वह जलावन लकड़ी लाते है और तेन्दु पत्ता का संग्रहण करते हैं जिससे उन्हें 450 रुपये की आमदनी होती है। इसके अतिरिक्त बीज और फल को एकत्रित कर बेचने से उन्हें वर्ष में 500 रुपयों की आय भी होती है। रामकृष्ण के परिवार की आय का एक बड़ा भाग पलायन कर मजदूरी से प्राप्त होता है। परिवार में रामकृष्ण और उसकी पत्नि वर्ष में लगभग 100 दिन पलायन करते है और औसतन प्रति व्यक्ति 65 रुपये की मजदूरी प्राप्त करते हैं। अन्य कोई क्षमता नहीं होने के कारण रामकृष्ण को अकुशल मजदूर के रूप में जबलपुर में पलायन के दौरान काम मिल जाता है।

यहां ध्यान देने योग्य जो धारणाऐं हैः

- आय सृजन किसी एक या एक से अधिक आर्थिक गतिविधि से होता है (सोयाबीन, तेन्दु पत्ते और अन्य वन उत्पाद को बेचना, मजदूरी) आजीविका इन सभी आय सृजन की गतिविधियों को सम्मिलित करती है।

- आजीविका की अवधारणा में हम परिवार को इकाई मानते हैं और फिर परिवार की समस्त पूंजी और सम्पत्ति तथा उसकी क्षमताओं का आंकलन करते हैं। इससे परिवार की उन कुशलताओं और गतिविधियों की पहचान होती है जिससे वह विभिन्न आय सृजन की गतिविधियों को संचालित करता है।

- आजीविका की अवधारणा जीवंत है तथा सन्दर्भ को केन्द्र में रखती है। आय-सृजन की गतिविधियां उस परिवार की खाद्य सुरक्षा, उसकी पैसों की आवश्यकता तथा एक परिवार संचालित करने की आवश्यकताओं की रणनीति है। प्रत्येक आय सृजन की गतिविधि को उस परिवार की इस रणनीति के सन्दर्भ में समझना जरूरी है।

- संक्षेप में आजीविका की अवधारणा आय सृजन से व्यापक है तथा वह परिवार के ऊपर केन्द्रित है। यह परिभाषा हमें एक परिवार के स्तर पर कई विकासीय हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करनें में मदद करती है। प्रशासकीय दृष्टिकोण में आजीविका की अवधारणा का प्रयोग हम विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेन्स के लिये करते हैं।

मैनुअल के इस भाग में हम देखेंगे कि आजीविका को कैसे मापा जायें और उसके अनुसार किस प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को चुना जाये।

आजीविका के घटकः

आजीविका से संबंधित गतिविधियों को करने के लिये पूंजी और सम्पत्ति तथा क्षमता और कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये कृषि को लेते है। कृषि को करने के लिये हमें जमीन चाहिये, जुताई के उपकरण चाहिये, बीज चाहिये, पानी की आवश्यकता होगी, कटाई के औजार चाहिये और इन सबका इस्तेमाल हो उसको करने के लिये श्रम और समझ जरूरी होगी। इसी प्रकार मजदूरी करने के लिये श्रम की क्षमता, मजदूरी के औजार और अपने श्रम की कीमत पाने की कला आवश्यक है। पशुपालन को लें तो देखेंगे कि उसके लिये पशुधन का होना जरूरी है, उसके लिये चारा और सुरक्षित स्थान, पशु के उत्पाद को संग्रहित करने का ज्ञान और क्षमता तथा इस उत्पाद को बेच लेना शामिल है।

अतः समझने वाली बात यह है कि आजीविका में सम्मिलित अलग-अलग आय सृजन की गतिविधियों की अलग-अलग आवश्यकताऐं होती है। इन आवश्यकताओं को हम पूंजीगत सम्पत्ति कहते हैं। किसी भी आजीविका की गतिविधि में इन पूंजियों की पहचान करने के लिये हम इन्हें पांच भाग में बांटते है।

आजीविका की पूंजीगत सम्पत्तियाँ				
क्र	पूंजियाँ	विवरण	उदाहरण- कृषि	उदाहरण- पशुपालन
1	**प्राकृतिक**	यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर आय-सृजन की गतिविधि निर्भर है	- जमीन का प्रकार - मिट्टी की गुणवत्ता - वर्षा की मात्रा	- पशुओं की नस्ल - चारे की उपलब्धता
2	**भौतिक**	इसमें वह सम्पत्तियाँ आती है जिनके द्वारा गतिविधि का निर्वहन होता हैं	- जमीन की मात्रा - खेती के उपकरण - बीज का प्रकार - सिंचाई के उपकरण	- पशुओं की संख्या - पशुओं के खड़े होने का स्थान - पशुओं को चारा आदि खिलाने के उपकरण
3	**सामाजिक**	औपचारिक और अनौंपचारिक संगठन जिनके आधार पर परिवार संस्थाओं और जानकारियों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करता है	- किसान समूह - स्व-सहायता समूह - सहकारी समिति की सदस्यता - मण्डी में जान-पहचान	- सहकारी समिति की सदस्यता - पशु-बाजार में पहचान
4	**आर्थिक**	इसमें परिवार के वित्तीय संसाधन, बाजार पर पकड़ एवं उत्पाद की कीमत शामिल है	- कर्ज - कहाँ बेचते हैं और कितने दाम मिल जाते है - कब बेचते है	- चारा खरीद पाने की क्षमता - बाजार की समझ - ऋण और उसको चुका पाने की क्षमता
5	**मानवीय**	जानकारी, ज्ञान, श्रम, क्षमता, कौशल और शैक्षणिक स्तर शामिल है	- खेती की जानकारी, ज्ञान एव कौशल - खेती करने योग्य व्यक्ति	- जानवरों की प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान - पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति

कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आजीविका की गतिविधि का संचालन परिवार के पास उपलब्ध इन पांच पूंजियों की मात्रा, उनकी गुणवत्ता, इन तक पहुँच और इस्तेमाल करने की ताकत पर निर्भर है। यदि हम परिवार की इन पांच पूंजियों का आंकलन करेंगे तो हम उस परिवार के आजीविका के स्तर को माप सकेंगे और उसको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है उसकी पहचान कर सकेंगे।

2.2 संस्थाऐं

योजना दल का मुख्य उद्देश अपने क्षेत्र का विकास करना है। इसके लिये यह आवश्यक है कि योजना दल को अन्य स्रोत से मदद या सहयोग लेना पड़े। यह जो अन्य स्रोत है इनको निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है।

वर्ग	उदाहरण	मौजूदगी
शासकीय विभाग	कृषि, उद्यानिकी, पशु पालन, मत्स्य विभाग, आदि	सभी जिलों और विकास खण्डों में
शासकीय परियोजनाऐ	मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, तेजस्विनी, इन्दिरा गांधी गरीबी उन्मूलन परियोजना, आदि	लक्षित जिलों, विकास खण्डों और गांवों में
सर्विस प्रदाय करने वाली संस्थाऐं	बैंक, दुग्ध महासंघ, मत्स्य महासंघ, बिजली बोर्ड, आदि	अपने-अपने सर्विस क्षेत्र के अनुसार
सामाजिक संस्थाऐं	स्वयं सेवी संस्थाऐं, जन संगठन, सहकारी समितियां, आदि	अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार
बाजार	व्यापारी, उद्यमी, निजी कम्पनी, ठेकेदार आदि	अपने-अपने बाजार की जरूरत के अनुसार

अपेक्षा यह है कि योजना दल इन सभी प्रकार की संस्थाओं के साथ रिश्ते बना सके और उनके साथ समन्वय स्थापित कर सके। इस मार्गदर्शिका में जो समन्वय स्थापित करने के तरीके बताये गये है उसमें बाजार की संस्थाऐं शामिल नहीं हैं। इस मार्गदर्शिका में संस्था शब्द का प्रयोग शासकीय विभाग, शासकीय परियोजना, सर्विस प्रदाय करने वाली संस्थाऐं और सामाजिक संस्थाओं के सन्दर्भ में किया गया है।

2.3 समन्वय

इस मार्गदर्शिका में संस्थाओं के बीच के रिश्ते को चार स्तरों पर देखा है। संस्थाओं के बीचः

- प्रतिकूलता का सम्बन्ध होगा [Conflict]
- सह-अस्तित्व की स्थिति होगी [Coexistence]
- सहयोग का रिश्ता होगा [Co-operation]
- समन्वय के साथ काम होगा [Coordination]

इन चार रिश्तों को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

प्रतिकूलता (Conflict):

इस सम्बन्ध के एक छोर पर संवाद विहीनता है तो दूसरी ओर संस्थाओं के बीच कुछ ऐसे मुददे हैं जिसके ऊपर एक राय नहीं बन पा रही है, जिससे समन्वय स्थापित करने की दिक्कतें आ रहीं हैं। सिवनी जिलें में किये गये सर्वेक्षण में हमने देखा कि ऐसी स्थिति आमतौर पर संस्थाओं के बीच नहीं है। यदि किसी मुद्दे पर संस्थाऐं एकमत नहीं हैं तो भी संस्थाऐं आपस में संवाद कर रही है और कार्य करने में एक-दूसरे को रोक नहीं रही है।

सह-अस्तित्व (Coexistence):

यह वह स्थिति है जहां संस्थाऐं अपना-अपना काम कर रही हां। परन्तु अपने कामों के साथ-साथ उन्हें अन्य संस्था के कामों के बारे में जानकारी नहीं है। और न ही उनमें जानकारी लेने की किसी प्रकार की जिज्ञासा हैं। उदाहरण के लिये सिवनी जिले में किए गयें सर्वेक्षण में हमने देखा कि 9 गांव ऐसे थे जहां मछली पालन किया जा रहा था। इस आजीविका में 6 गांवों में 1–3 प्रतिशत परिवार और 2 गांवों में 10–27 प्रतिशत और एक गांव में 56 प्रतिशत परिवार लगे हुऐ थे। परन्तु न तो वन समिति उनकी इस आजीविका में कुछ भूमिका निभा रही थी क्योंकि जिन तालाबों पर मछली पालन किया जा रहा था वह वन क्षेत्र के बाहर था और न ही वन विभाग के क्षेत्र के कर्मचारियों को उसमें कोई रूचि थी। इतना ही नहीं जब मत्स्य पालन विभाग से जानकारी एकत्रित की गयी तो पता चला कि वह भी इन गांवों में मछली पालन की गतिविधि में किसी भी प्रकार सम्मिलित नहीं है। यह गांव वाले अपनी जरूरत पूर्णतः बाजार की संस्थाओं के साथ अपने-अपने स्तर पर सम्पर्क कर पूरा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वन समिति, वन विभाग और मत्स्य पालन विभाग सह-अस्तित्व के रिश्ते में थे।

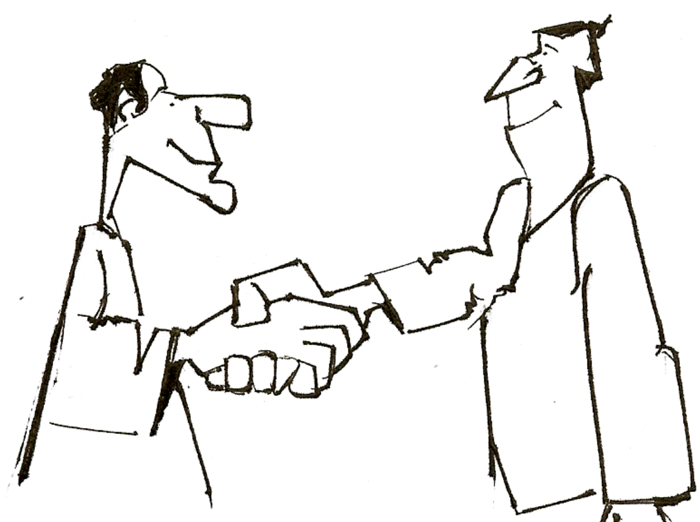

सहयोग (Co-operation):

सहयोग का अर्थ यहां पर उस स्थिति से है जब किसी एक संस्था ने सहयोग मांगा तो दूसरी संस्था ने सहयोग दिया है। उदाहरण के लिये ताखलाखुर्द गांव में 6 स्व-सहायता समूह, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बनाये गये है। इन समूह के गठन और उनको सःशक्त करने में न तो वन समिति का और न ही वन विभाग का कोई हस्तक्षेप रहा है। परन्तु वन उत्पाद के संग्रहण के सन्दर्भ में वन विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे जब-जब वन समितियों ने इन समूहों से सहयोग मांगा है उन्होने अपने सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा है तथा वन समिति के साथ सहयोग कर वन उत्पाद के व्यापार के माध्यम से कार्य किया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार का सहयोग विशेष घटना आधारित रहा है न कि एक सतत प्रकिया का हिस्सा।

समन्वय (Coordination):

आदर्श रूप में समन्वय में दो संस्थाओं के बीच उद्देश्यों पर साझा समझ एवं उनको प्राप्त करने की संयुक्त रणनीति होती है। यह दोनों संस्थाओं के काम करने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है जिसमें संसाधन और जानकारियां मिलजुल कर इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिये वन समितियों द्वारा सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन वन समितियों और वन विभाग के बीच समन्वय के साथ ही किया जाता है।

इस मार्गदर्शिका में संस्थाओं के बीच के सम्बन्ध को उपरोक्त दिये गये रिश्तों के आधार पर देखा गया है। इन रिश्तों में बदलाव लाने की रणनीति भी इन्हीं चार स्तरीय रिश्तों के सन्दर्भ में देखी गयी है।

अध्याय 3
समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया

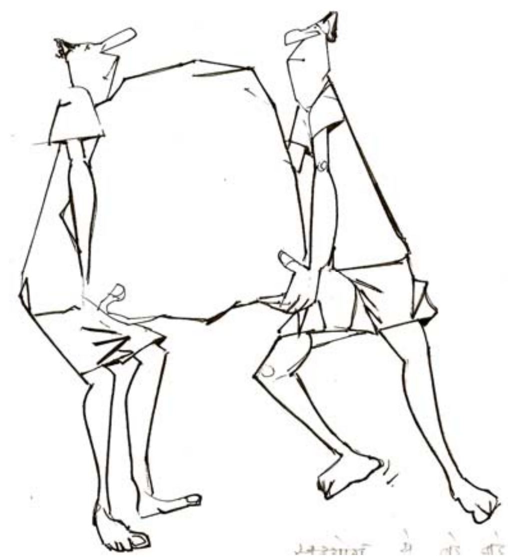

3.1 समन्वय

समन्वय कोई कार्यक्रम नहीं हैं जिसको अंजाम देने के लिये अलग से बजट उपलब्ध करवाया जायेगा और उसके अन्तर्गत कुछ क्रियाऐं और गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। वह एक प्रबन्धकीय एवं प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें अलग-अलग इकाईयों को सम्मिलित कर एक साझा उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। वर्तमान सन्दर्भ में यह प्रक्रिया क्षेत्र स्तर के योजना दल के प्रतिनिधियों द्वारा की जायेगी तथा इसमें वह अलग-अलग शासकीय संस्थाओं के बीच सम्पर्क, संवेदन, संवाद, सहयोग, साझेदारी के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

समन्वय के मूल में है रिश्तों का बनाना तथा उनको बनाये रखना। रिश्तों को बनाने के लिये वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा मध्यस्थता कर दोनों इकाईयों- वन समिति और अन्य शासकीय संस्थाओं- को एक दूसरे के प्रति सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करने के लिये तैयार करना शामिल है। इस संवाद की गुणवत्ता सहयोग की भावना एवं दृष्टिकोण पैदा करेगी। इससे सही और पूर्ण जानकारियों का संचार होगा जिससे साझा समझ पैदा होगी और दोनो इकाईयाँ एक-दूसरे को मदद कर अपने-अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। इनमें से कुछ पहलों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होगा जिसका विश्लेषण भविष्य में समन्वय की नींव मजबूत करेगा।

समन्वय स्थापित करने के अलग-अलग चरण और प्रत्येक चरण के अपेक्षित परिणाम नीचे प्रवाह चित्र में दिये गये हैं। साथ-साथ प्रत्येक चरण में योजना दल के सदस्यों की क्या भूमिका होगी इसको भी इस चित्र में दर्शाया गया है।

समन्वय स्थापित करने का प्रवाह चित्र

समन्वय के क्रमवार पड़ाव	प्रत्येक पड़ाव से अपेक्षित परिणाम	प्रत्येक पड़ाव में सहजकर्ता की भूमिका
योजना दल बनाना (पृष्ठ क्र 21)	• शिक्षित उत्साहित व्यक्तियों का दल	• व्यक्ति का चयन करना • समूह सशक्त करना
7 दिन*		
ग्राम की आजीविकाओं का मानचित्रण (पृष्ठ क्र 24)	• विभिन्न आजीविकाओं की सूची • आजीविका संवर्धन की त्वरित और दूरगामी जरुरतों की पहचान	• पहल लेना • प्रेरित करना • उत्प्रेरक की भूमिका • सहजकर्ता की भमिका
45 दिन*		
शासकीय संस्थाओं का मानचित्रण एवं वर्तमान सहयोग का स्वरूप (पृष्ठ क्र 30)	• आजीविका गतिविधियों में सहयोग करने वाली संस्थाओं की पहचान • वन समिति और शासकीय संस्थाओं के वर्तमान रिश्ते • रिश्तों में बदलाव लाने की रणनीति	• सहभागिता प्राप्त करना • प्रेरित करना • जानकारी का सहभागी विश्लेषण • सहजकर्ता की भूमिका
7 से 10 दिन		
शासकीय संस्थाओं को सहयोग की पहल के लिये तैयार करना (पृष्ठ क्र 34)	• वन समिति की शासकीय संस्थाओं की योजनाओं की जानकारी में वृद्वि • वन समिति द्वारा योजनावार प्रस्ताव बनाना	• उत्प्रेरक • सम्प्रेषण • वन विभाग का प्रतिनिधित्व • सहजकर्ता की भूमिका
7 से 15 दिन*		
योजना दल का क्षमता वर्धन (पृष्ठ क्र 38)	• योजना दल की शासकीय संस्थाओं की योजनाओं की जानकारी में वृद्धि • योजना दल द्वारा योजनावार प्रस्ताव बनाना	• प्रेरक • सहजकर्ता की भूमिका
7 से 15 दिन*		
योजना दलके प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं अनुसरण (पृष्ठ क्र 43)	• योजनावार हितग्राहियों की पहचान तथा प्राथमिकता • अनुदान राशि की एकत्रित एवं जमा करना • प्रस्तावों को शासकीय संस्था में प्रस्तुत करना	• प्रेरक • Handholding • Coaching • सहजकर्ता की भूमिका
60 दिन*		
प्रस्तावों का क्रियान्वयन एवं सहयोगी संस्थाओं को पुनर्निवेश (पृष्ठ क्र 44)	• लाभ चिन्हित हितग्राहियों तक पहुँचे सुनिश्चित करना • शासकीय संस्थाओं को योजना से अर्जित लाभ के बारे में जानकारी देना	• प्रेरक • Coaching • सहजकर्ता की भूमिका
7 से 10 दिन*		

** समय लगने की संभावना*

योजना दल

- योजना दल का गठन एक निश्चित रणनीति तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाना है।
- योजना दल गांव के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का समूह है।
- योजना दल पर उन सब कार्यों की जिम्मेवारी होगी जिससे गांव में विभागों की योजनाओं का लाभ मिल सके।
- इस कार्य को करने के लिये, गाँव में अलग-अलग लोगों से मिलना तथा एक आंकलन कर समूह गठन में लगभग एक हफ्ते को समय लग सकता है।

पढ़ालिखा

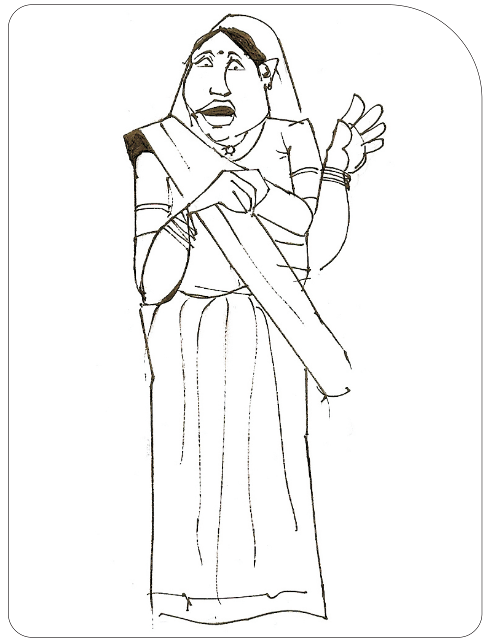

अपनी बात समझा सके

विकास की समझ

मिलनसार

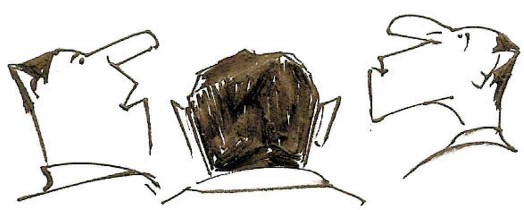

योजना दल का गठन

3.2. योजना दल

3.2.1 योजना दल की आवश्यकता

विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया में योजना दल एक सुनिश्चित रणनीति का भाग है। यह दल गांव के लोगों द्वारा निर्मित है जिनकी क्षमताावर्धन कर तथा उनके साथ सहयोग कर गांव में संभावित हितग्राही और सरकार के विभागों की योजनाओं के बीच की दूरी को कम कर सकें। योजना दल को समूह के रूप में देखना इसलिये आवश्यक है जिससे समन्वय करने की क्षमता किसी एक व्यक्ति के पास न रहे पर गांव में कुछ ऐसी संस्था में व्यक्ति तैयार हों जो आगे चल कर एक दूसरे की मदद से समन्वय के लिये आवश्यक गतिविधियों को स्वयं संचालित कर सकें।

3.2.2 योजना दल का गठन

योजना दल गांव वालों का एक ऐसा समूह है जो सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर गांव के पात्र परिवारों के लिए प्रस्ताव, उनका अनुमोदन, प्रस्तावों का विभागों में प्रस्तुतिकरण, उनका अनुसरण एवं फीडबैक (Feedback) आदि की क्रियाऐं करेगा ।

योजना दल गांव के ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्मित हो जो :

- बिना किसी मानदेय के आर्कषण के काम करने को तैयार हों
- गांव के अन्य परिवारों के साथ सतत सम्पर्क एवं ताल मेल बैठाने में सक्षम हो
- सरकारी विभागों के साथ संवाद करने को तैयार हो

इसके साथ साथ यह भी देखा जाये कि योजना दल में निम्न क्षमताऐं भी हो। यह आवश्यक नहीं है कि यह क्षमताऐं सभी सदस्यों में हो पर यदि यह अलग अलग सदस्यों के पास हों तो वह दल को एक मजबूती प्रदान करेगीः

- साक्षरता इतनी कि पत्र लिखा जा सके,
- संप्रेषण (अपनी बात कह पाना)- गांव वालों को समझाने की काबलियत
- सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सके।

योजना दल के गठन के लिए सहजकर्ता को ध्यान देना होगा कि यह कोई राजनीतिक समूह नहीं है जिसके लिए गांव में किसी प्रकार का चयन या चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़े। इस दल के निश्चित कार्य हैं जिनके लिए कुछ निर्धारित क्षमताओं की आवश्यकता होगी। वर्तमान अध्ययन में चूंकि हम वन समितियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हमने सर्वप्रथम उनका आंकलन किया जिनको संयुक्त वन प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। हमारा मानना यह था कि इन सदस्यों को विकास की समझ, आजीविका की जानकारी और सरकार के कामकाज के तरीके और कार्यों के बारे में जानकारी होगी। साथ-साथ चूंकि इन सदस्यों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया गया है उनके सम्प्रेषण एवं संचार (communication) की क्षमता का भी सृजन हुआ होगा। गांव एवं वन समिति का प्रोफाइल तैयार करने की प्रक्रिया में हमने इन सदस्यों का भी आंकलन किया और जहां जहां हमें यह सदस्य सक्रिय लगे हमने उन्हें योजना दल का सदस्य बना लिया। जहां पर इस प्रकार के सदस्य नहीं थे वहां गांव के अन्य व्यक्तियों का आंकलन कर उन्हें दल में सम्मिलित किया गया।

3.2.3 योजना दल की जिम्मेदारी

योजना दल की निम्न जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैः

- गांव का आजीविका मानचित्रण बनाना
- गांव में आजीविका पर जानकारी एकत्रित करना
- विभागों की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना
- जानकारी के आधार पर गांव में बैठक कर पात्र हितग्राहियों का चयन करना
- हितग्राहियों के योजनावार उचित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव बनाना
- प्रमाणीकरण करवाकर उनका अनुमोदन करवाना
- अनुमोदित प्रस्तावों को विभाग में प्रस्तुत करना
- विभाग के अधिकारियों के साथ सतत् सम्पर्क एवं उनसे जानकारी प्राप्त करना
- विकास खण्ड या जिला स्तर पर होने वाली समन्वय बैठकों/ कार्यशालाओं में गांव की आजीविका संवर्धन पर प्रस्तुतिकरण एवं विचार रखना
- अन्य योजना दलों की मदद करना

आजीविका मानचित्र

- गाँव की आजीविकाओं की पहचान करना
- गाँव में आम सभा का आयोजन
- आमसभा को बैठक के उददे्श्य स्पष्ट करना
- बतायी गयी आजीविका गतिविधियों को क्रमवार रखना
- प्रत्येक आजीविका गतिविधि में कार्यरत परिवारों की संख्या दर्ज करना
- महिलाओं की विशेष सभा में प्रस्तुतिकरण करना
- गाँव की आजीविका की मास्टर सूची
- इस प्रक्रिया में बैठक के आयोजन और आजीविकाओं की पहचान में सामान्यतः 7 से 10 दिन लग जाते हैं

गांव की आजीविकाओं की पहचान – आजीविका मानचित्रण

3.3 आजीविका का मानचित्रण

चूंकि हम लोग अक्सर गांव जाते रहते हैं और लोगों के साथ सम्पर्क में रहते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमें पता है कि गांव में अधिकतर आजीविका की किस प्रकार की गतिविधियाँ चलायी जा रही हैं। हम यह मान लेते हैं कि कृषि तो होगी ही, पशु-पालन भी होगा, मजदूरी होगी और वनोत्पाद का संग्रहण कर बेचना भी हो ही रहा होगा। परन्तु इतनी जानकारी काफी नहीं है। हमें गांव की सभी आजीविका की गतिविधियों की जानकारी, उन गतिविधियों में लिप्त परिवारों की संख्या तथा उनके मौसमी व्यवहार की जानकारी का होना आवश्यक है जिसके आधार पर हम प्रत्येक परिवार की आजीविका की दशा पर जानकारी एकत्रित कर सकते है। यह वह जानकारी है जो हमें उन आर्थिक गतिविधियों से पहचान करायेगीं जहाँ उत्पादकता कम है और परिवार सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करते है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हम गांव की आजीविका का मानचित्रण करते है।

आजीविका मानचित्रण करने के दो चरण हैं:

प्रथम, गांव की आजीविका सम्बन्धी जानकारी का सृजन एवं एकत्रीकरण

दूसरा, परिवारों की आजीविका सम्बन्धी जानकारी का एकत्रीकरण एवं संग्रहण

3.3.1 गांव की आजीविका सम्बन्धी जानकारी

गांव की आजीविका सम्बन्धित जानकारी एकत्रित करने का कदमवार तरीका नीचे दिया गया है। गांव जाने के पूर्व की तैयारी में अपने साथ 8 ईंच X 4 ईंच की कटी हुई कार्ड शीट और मार्कर पैन साथ ले जाये।

1. गांव में आम सभा का आयोजन करवाये। प्रयास यह हो कि गांव के सभी फलियों से, मोहल्लों से, तथा सभी जाति वर्गों का इस सभा में प्रतिनिधित्व हो। इस सभा में विशेषकर महिलाओं को आमन्त्रित किया जाये। यदि गांव के सांस्कृतिक माहौल में महिलाएं सबके सामने नहीं बोलती है तो उनके लिये अलग से विशेष सभा बुलायी जाये।

2. सभा में उपस्थित व्यक्तियों को सभा का उद्देश्य समझाया जाये- गांव के सभी परिवारों द्वारा की जा रही आजीविका की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करें।

3. अब जैसे-जैसे सभा आजीविका की गतिविधियों के बारे में बताये, प्रत्येक गतिविधि को अलग-अलग कटी हुई कार्ड शीट पर लिखें और लिखी हुई कार्ड-शीट को सबके सामने रखें।

4. जब सारी आजीविका की गतिविधियाँ लिखी जा चुकी हो तो उपस्थित समूह के सामने जमीन में एक चक्र बनायें और उसमें गांव का नाम लिखें। समूह से कहें कि जिस गतिविधि में गांव के अधिकतर परिवार संलिप्त है उसे उतने ही गांव के चक्र के समीप रखें। इस प्रकार एक चित्र उभरेगा जिसमें वह आजीविका की गतिविधियाँ जिसे गांव के सबसे अधिक परिवार संचालित करते हैं वह गांव के करीब और जिसमें सबसे कम परिवार शामिल है वह सबसे दूर रखी जायेगी।

5. प्रत्येक आजीविका की गतिविधि पर कितने परिवार या गांव में कुल परिवारों में प्रतिशत के आंकड़ों को पूंछ कर कार्ड-शीट पर लिखें।

6. आजीविका की सूची को अंतिम रूप देने से पहले उसको महिलाओं की विशेष सभा के समक्ष रखें और उनसे भी जानकारी प्राप्त करें। छूटी हुई गतिविधियों को सम्मिलित कर सूची को अंतिम रूप दिया जाये।

7. गांव से एकत्रित जानकारी को तालिकाबद्ध कर लें जिससे आजीविका सम्बन्धी गांव की एक मास्टर सूची तैयार हो जायेगी।

<table>
<tr><td colspan="2">तालिका 1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">गांव का नाम व कुल परिवारों की सं.ख्या</td><td colspan="2">ग्राम पंचायत का नाम</td></tr>
<tr><td colspan="4">जनपद पंचायत का नाम</td></tr>
<tr><td></td><td>गांव में पहचानी गयी आजीविकाऐं
अ</td><td>परिवारों की संख्या
ब.</td><td>प्रतिशत
अ/कुल परिवार की संख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

उपरोक्त तालिका के पहले कॉलम में लिखी गयी आजीविकाऐं आपको उन विभागों और संस्थाओं की पहचान करने में मदद करेंगी जिनसे हम सहयोग अपेक्षित कर रहे हैं।

परिवार की आजीविका सम्बन्धी जानकारी

- गाँव में सर्वे दल का चयन
- सर्वे दल को आजीविका प्रपत्र समझाना
- गाँव में प्रत्येक परिवार का सर्वे
- सर्वे की जानकारी का संकलन
- संकलित जानकारी के आधार पर त्वरित एवं दूरगामी योजना को तैयार करना
- इस पूरी कार्यवाही में सर्वे करना, उसका संकलन तथा विश्लेषण में एक माह का समय लगना संभावित है ।

3.3.2 परिवार की आजीविका गतिविधियों की जानकारी

परिवार की आजीविका गतिविधियों की जानकारी की आवश्यकता हमें विशेष आय-सृजन की गतिविधियों की दशा के बारे में जानकारी देगी। यह जानकारी संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की होंगी तथा यह हमें यह विश्लेषण करने का अवसर देगी जिसके आधार पर हम आजीविका से सम्बन्धित कमियों को पहचान सकेंगे और उन पर विकासात्मक हस्तक्षेप की तैयारी कर सकेंगे।

परिवारों की आजीविका सम्बन्धी जानकारी का एकत्रीकरण करने के लिये प्रत्येक परिवार का सर्वे करना आवश्यक होगा। इसके लिये एक दल का चयन किया जाये जो एक सर्वे फार्म के आधार पर जानकारी एकत्रित कर सके। मार्गदर्शिका के इस भाग में हम सर्वे फार्म तथा उसके आधार पर जानकारी एकत्रित करने एवं एकत्रित जानकारी के संकलन पर प्रकाश डालेगें।

1. सर्वे दलः गांव के कुछ पढ़े-लिखे व्यक्तियों के एक स्वयं सेवी दल का चयन करें। इस दल का आजीविका की अवधारणा पर उन्मुखीकरण करें तथा उनको सर्वे फार्म भरने का प्रशिक्षण दें।

2. सर्वे फार्मः परिशिष्ट 2 में सर्वे फार्म का प्रारूप दिया गया है। इस फार्म को आजीविका की पांच पूंजियों और सम्पत्तियों के आधार पर बनाया गया है। सर्वे दल के प्रत्येक सदस्य से पांच-पांच फार्म भरने को कहें और भरे हुए फार्म की जांच करें। गांव के प्रत्येक परिवार का सर्वे करवायें।

सिवनी प्रयोग

सर्वे में सहयोग

यदि किसी गांव में उपयुक्त मात्रा में पढ़े–लिखे व्यक्ति नहीं हैं तो उन्हें अन्य समिति से लिया जा सकता है। सिवनी प्रयोग उमरडीह वन समिति में कुछ ऐसा ही हुआ। इस समिति में अधिक पढ़े–लिखे व्यक्ति नहीं थे जिससे सर्वे करवाने में दिक्कत आ रही थी। बिनौरी वन समिति के युवा सदस्यों ने यह कार्य उमरडीह के लिये करने के लिये आगे आये। अन्त में उमरडीह वन समिति के परिवारों का सर्वे बिनौरी के सदस्यों द्वारा सम्पन्न हुआ।

3. जानकारी का संकलनः सर्वे फार्म की जानकारी का संकलन आदर्श रूप में कम्प्यूटर पर किया जाना चाहिये। इससे अलग-अलग प्रकार से विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। फार्म को इस प्रकार बनाया गया है कि एकत्रित जानकारी को किसी भी स्प्रैड-शीट में भरा जा सके।

4. अब एक-एक आजीविका गतिविधि का विश्लेषण किया जा सकता है और उस गतिविधि की दशा पर निष्कर्ष निकाले जा सकते है। इन निष्कर्षों के आधार पर उस आजीविका गतिविधि के सम्बन्ध में त्वरित तथा दूरगामी विकासीय हस्तक्षेपों की योजना तैयार की जा सकती है।

सिवनी प्रयोग

त्वरित और दूरगामी योजना

उमरडीह वन समिति में प्रत्येक परिवार की कृषि सम्बन्धि जानकारी एकत्रित की गयी। इससे पता चला कि गांव में 26 परिवारों के पास 72.5 एकड़ कृषि भूमि है, परन्तु किसी भी परिवार के पास स्वयं के पानी की व्यवस्था नही है। इस गांव में धान, दाल और गेहूँ की खेती होती है जिसमें बीज और खाद घर का इस्तेमाल होता है। गांव में कृषकों का कोई समूह नहीं है।

आजीविका संवर्धन की योजना इस प्रकार परिभाषित की गयीः

त्वरित योजनाः	नये और अच्छे किस्म के बीजों का वितरण
मध्यम योजनाः	पानी के स्रोतों का निर्माण
दूरगामी योजनाः	कृषक समूहों का गठन जो कृषि सम्बन्धी योजनाओं को गांव में लाने में अगुवाई करेंगे।

संस्थाओं का मानचित्रण

- विभागों की पहचान जिनकी योजनाऐं गाँव की आजीविकाओं को प्रभावित करती हैं।
- गाँव में संस्थाओं की पहचान जो आजीविका गतिविधि को प्रभावित करती है।
- गाँव में आमसभा का आयोजन
- आमसभा द्वारा प्रत्येक आजीविका को प्रभावित करने वाली संस्था की पहचान
- पहचानी गयी संस्थाओं की भूमिका का आंकलन
- जानकारी को तालिकाबद्ध करना
- जानकारी के आधार पर रणनीति का निर्धारण
- प्रक्रिया के इस चरण में 7 से 10 दिन तक का समय लगने की संभावना है ।

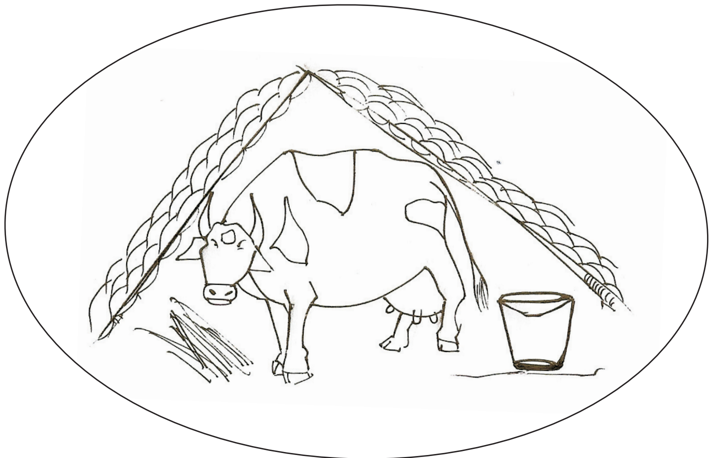

पशुपालन

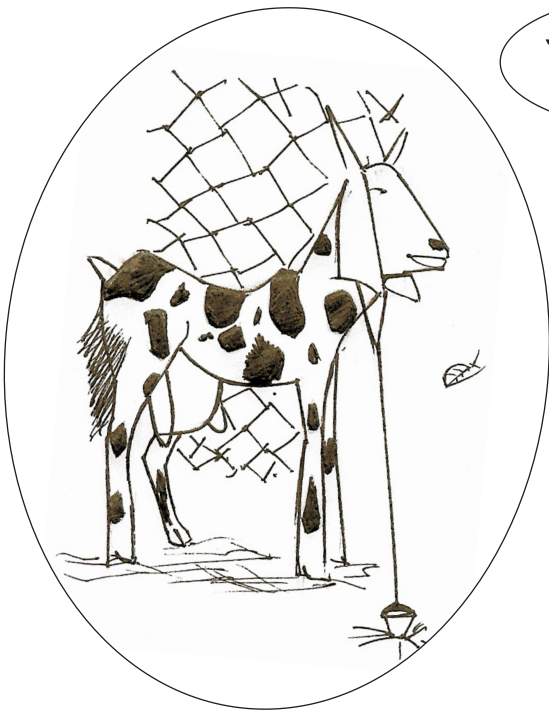

संस्थाऐं

वन समिति	चराई को नियंत्रित करना
वन विभाग	वन समिति को चराई को नियंत्रित करने में सहयोग
पशुपालन विभाग	औषधीय सेवाऐं
संगठित डेयरी	कोई भूमिका नहीं
ग्राम पंचायत	कोई भूमिका नहीं

आजीविका को प्रभावित करने वाली संस्थाऐं

3.4 संस्थाओं का मानचित्रण

[इस प्रक्रिया को पूर्ण करने से योजन दल आजीविका गतिविधिं और विभागों के संदर्भ को समझ पायेंगे।]

गांव की आजीविका की गतिविधियों की सूची बनाने के बाद हमारा अगला चरण है उन संस्थाओं की पहचान करना जिनका प्रभाव पहचानी गयी आजीविकाओं पर है। इस कार्य को सम्पादित करने के दो भाग हैः

प्रथम भाग में हम इस मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 3 में दी गयी शासकीय विभागों की सूची के आधार पर उन विभागों को चिन्हित करेंगे जिनके कार्यों का मुख्य उद्देशय पहचानी गयी आजीविका की गतिविधियों के साथ है। यह कार्य गांव जाने से पहले किया जाना चाहिये जिससे चिन्हित किये गये विभागों के बारे में गांव से जानकारी प्राप्त की जा सके।

दूसरे भाग में हम प्रत्येक आजीविका से सम्बन्धित संस्था की पहचान समुदाय द्वारा करवायेंगे और उस संस्था की भूमिका पता करने का प्रयास करेंगे। इस भाग को विस्तार से नीचे दिया जा रहा है।

3.4.1 संस्थाओं की पहचान और भूमिका

[तैयारी : सामग्री कार्ड शीट, स्केच पेन (मोटा लिखने वाला) योजना दल ये कहे परीशिष्ट 3 में दिये गये विभागों के नाम को 8 ईंच X 4 ईंच की कटी हुई कार्ड-शीट पर लिख कर सबके सामने रखें । 8-10 कटी हुई कार्ड शीट रिक्त रखें।]

1. गांव में आम सभा का आयोजन किया जाये। प्रयास यह हो कि इस सभा में वह सभी व्यक्ति उपस्थित हों जो सूचीबद्ध आजीविका की गतिविधियाँ संचालित करते हैं। उदाहरण के लिये यदि गांव में बांस का काम करने वाले परिवार हैं तो उन परिवारों के प्रतिनिधि इस सभा में अवश्य हों।

2. एक बड़ी कार्ड-शीट पर गोल चक्र बना कर एक आजीविका लिखें, जैसे "कृषि" या फिर "पशु पालन" या फिर "मजदूरी"। फिर उपस्थित व्यक्तियों से उस आजीविका को प्रभावित करने वाली संस्थाओं को पहचानने को कहें। अगर कोई अन्य संस्था का जाम जैसे स्व सहायता समूह, साहूकार, कॉओपरेटिव बैंक बताया जाए तो उनको रिक्त कार्ड शीट पर लिख लें।

3. जब सभी संस्थाओं की पहचान हो गयी हो तो समूह से कहें कि जो संस्था उस गतिविधि को सर्वाधिक प्रभावित करती है उसे बड़ी कार्ड-शीट पर गोल चक्र के समीप रखें और जो कम प्रभावित करती है उसे दूर रखें। समुदाय की सहूलियत के लिये प्रभाव को 3 वर्गो में बांट दें: कम प्रभाव, मध्यम प्रभाव और अधिक

प्रभाव। इस प्रकार चिन्हित संस्थाऐं जो सबसे महत्वपूर्ण होगीं वह चक्र के समीप और जो कम महत्वपूर्ण होगी वह चक्र से दूर होंगी।

4. यदि आजीविका से सम्बन्धित शासकीय संस्थाओं को समुदाय द्वारा नहीं पहचाना गया है तो उन्हें कटी हुई कार्ड-शीट पर लिखें और समुदाय से पूछें कि इन संस्थाओं की क्या भूमिका है। समुदाय को प्रेरित करें कि वह बताये कि वह इन संस्थाओं को आजीविका के चक्र से कितनी दूर रखा जाये। इसके लिये यह भी हो सकता है कि आपको एक नया वर्ग परिभाषित करना पड़ेः कोई महत्व नहीं।

5. अन्त में आपके पास संस्थाऐं चार वर्गो में बंटी हुई दिखेंगी- कोई महत्व नहीं, कम महत्व, मध्यम महत्व और अधिक महत्व।

6. अब आप समूह से चर्चा कर प्रत्येक संस्था की क्या भूमिका है को पता कर सकते है। इन भूमिकाओं को भी इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है- कोई भूमिका नहीं, कम भूमिका, मध्यम भूमिका, और अधिक भूमिका।

7. अब आप आजीविका गतिविधि से सम्बन्धित सभी संस्थाओं को नीचे दी गयी तालिका में लिख सकते हैं

		महत्व			
		कोई महत्व नही	कम महत्व	मध्यम महत्व	अधिक महत्व
भूमिका	कोई भूमिका नही				
	कम भूमिका				
	मध्यम भूमिका				
	अधिक भूमिका				

ध्यान रहे इस प्रकार की तालिका आपको प्रत्येक पहचानी गयी आजीविका के लिये बनानी पड़ेगी।

3.4.2 जानकारी का प्रयोग

अब चूंकि हमने समन्वय स्थापित करने के लिये अपनी लक्षित संस्थाओं का चयन कर लिया है तो हमें यह देखना है कि वह संस्थाऐं किस खाने में आती है। मोटे तौर पर हमारे सामने 4 स्थितियाँ होगी। इन स्थितियों के कारणों को समझने की आवश्यकता है।

तालिका 3.1		
स्थिति	संस्था से संबंधित	वन समिति से संबंधित
महत्व– *कोई नही या कम* भूमिका– *कोई नही या कम*		
महत्व– *मध्यम या अधिक* भूमिका– *कोई नहीं या कम*		
महत्व– *कोई नहीं या कम* भूमिका– *मध्यम या अधिक*		
महत्व– *मध्यम या अधिक* भूमिका– *मध्यम या अधिक*		

सहजकर्ता की भूमिका है कि कारणों पर चर्चा करवाये और तालिका 3.1 में लिखें। इन्हीं कारणों के आधार पर समन्वय की रणनीति बनायी जा सकेगी। परिशिष्ट 3 की तालिका 1 में जो स्थितियों का विश्लेषण दिया है वह सिवनी जिले में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है।

यहाँ तक पहुँचने पर आप पायेंगे कि आपके पासः

- 0 गांव की आजीविका की सूची है
- 0 परिवारों की आजीविका की दशा की स्थिति कैसी है इसका विश्लेषण है
- 0 गांव में आजीविका के आधार पर शासकीय एवं अन्य संस्थाओं की पहचान कर सूचीबद्ध कर लिया गया है
- 0 गांव में संस्थाओं का प्रभाव- महत्वता और भूमिका के आधार पर- कर संस्थाओं के प्रति एक समझ बनी है

अब हम तैयार है समन्वय की पहल करने को तथा अपनी समन्वय की रणनीति को क्रियान्वित करने के लिये जिसे आगे के अध्यायों में दिया जा रहा है।

संस्थागत सहयोग का प्रवाह चित्र

शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को वन समिति के सम्वन्ध में जानकारी देना

वन विभाग द्वारा जनपद स्तर पर शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला

कार्यशाला में आमन्त्रित प्रतिनिधियों में से दो-चौथाई से कम उपस्थित

कार्यशाला में आमन्त्रित किये गये विभागों में से दो-चौथाई से अधिक उपस्थित

कार्यशाला का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से करवायें

कार्यशाला में आमन्त्रित प्रतिनिधियों में से दो-चौथाई से कम उपस्थित

विभाग-वार बैठकों का आयोजन करें

कार्यशाला/बैठक का संचालन करें जिसमें सर्वप्रथम वन समितियों से संबंधित प्रस्तुतियों पर चर्चा हो

कार्यशाला/बैठक के दूसरे भाग में वन समितियों की आजीविका पर प्रस्तुतिकरण हो

प्रस्तुतिकरण के बाद विभाग-वार एक्शन बिन्दु बनावायें जिसमें:
- कौन सी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है
- विभाग और वन समिति की संयुक्त बैठक कव और कहां होगी

कार्यशाला का समापन तथा तैयार किये गये एक्शन बिन्दुओं की प्रतिलिपि सभी विभागों को उपलब्ध करवाना

इस कार्य को पूर्ण करने में 7 से 15 दिन लगेंगे

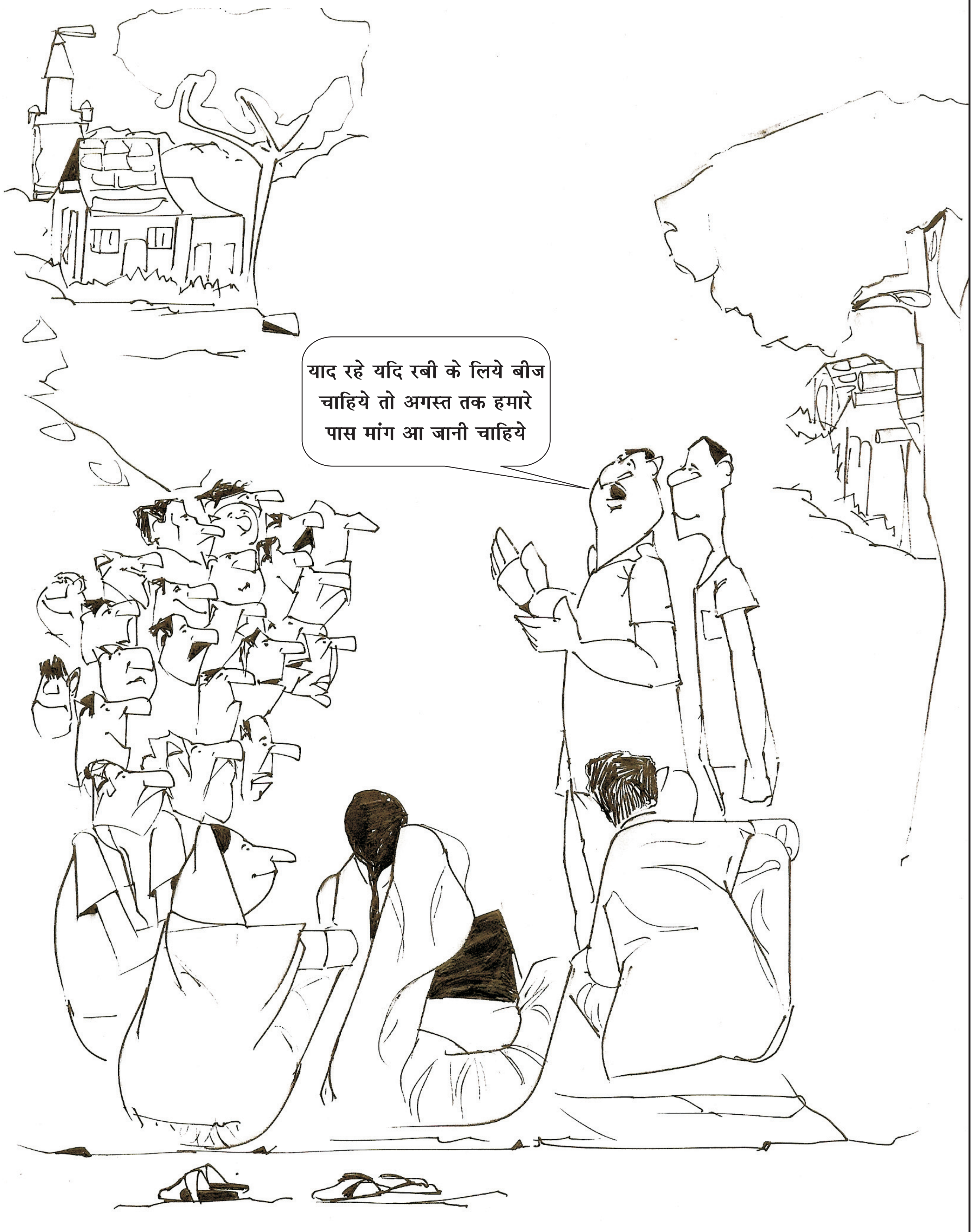

योजना दल द्वारा गांव का विभाग के साथ सम्पर्क को सघन करना

3.5 विभागों के साथ सम्पर्क

इस प्रकार देखें तो शासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय करने के लिये हमें

1. अन्य शासकीय संस्थाओं में वन समिति के सन्दर्भ में जानकारी बढ़ाना
2. योजना दल/ वन समितियों की शासकीय संस्थाओं तक पहुंच बढ़ाना
3. योजना दल/ वन समितियों को अन्य शासकीय संस्थाओं की योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित करना
4. अन्य शासकीय संस्थाओं की योजनाओं में वन संरक्षण के घटकों को सम्मिलित करना।

इस अध्याय में हम उन तरीकों को देखेंगे जिनके माध्यम से अन्य शासकीय संस्थाओं में वन समिति के बारे में जानकारी में बढ़ोतरी हो। अन्य आवश्यकताओं को आगे के अध्यायों में विस्तार से दिया गया है।

3.5.1 वन समिति की जानकारी देना

सहजकर्ता के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह अन्य शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को वन समितियों से सम्बन्धित जानकारी दें तथा साथ-साथ कुछ वन समितियों की आजीविका सम्बन्धि जानकारी से भी अवगत करवायें। इसकी तैयारी के लिये आपके पास निम्न प्रस्तुतियाँ तैयार होनी चाहिएः

- वन समितियों के उद्देश्य एवं कार्य
- वन समितियों द्वारा किये गये सफल उदाहरण
- वन समितियाँ और आजीविका संवर्धन

सहजकर्ता योजना दल को कुछ वन समितियों की आजीविका संबंधित जानकारी देने के लिये तैयार करें। योजना दल के पास अपने गांव की निम्न जानकारी तैयार होनी चाहिए।

- आजीविका-वार परिवार संख्या
- कृषि सम्बन्धी जानकारी
- उद्यानिकी सम्बन्धी जानकारी
- पशु-पालन सम्बन्धी जानकारी
- अन्य आजीविका सम्बन्धी जानकारी

शासकीय संस्थाओं को वन समितियों की जानकारी देने का क्रम इस प्रकार होगा :

- कार्यशाला का आयोजन
- संस्थागत सम्पर्क
- प्रस्तुतिकरण
- एक्शन प्लान

3.5.2 कार्यशाला का आयोजनः

आदर्श स्थिति में शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की जनपद जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिये। जिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया जाना है, उनके नाम तालिका में दिये गये है। यह वह संस्थाऐं है। जिनके कार्यक्रम आजीविका संवर्धन को लक्षित करते है।

आमन्त्रित किये जाने वाले विभागों की सूची

1. कृषि विभाग
2. उद्यानिकी विभाग
3. पशु-पालन विभाग
4. मत्स्यपालन विभाग
5. ग्रामीण विकास विभाग
6. जल संसाधन विभाग
७. आदिवासी विकास विभाग
८. रेशम विभाग
९. जिला उद्योग केन्द्र
१०. खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड
11. दुग्ध महासंघ

उपरोक्त सूची में यह हो सकता है कि किसी विभाग के प्रतिनिधि का आपकी जनपद पंचायत में आफिस न हो। परन्तु उस विभाग के उस प्रतिनिधि को जिला स्तरीय आफिस से कार्यशाला के लिये नामांकित करवाया जा सकता है जिसको आपकी जनपद की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

यह संभव है कि कार्यशाला में उपस्थिति कम हो। इसका एक विकल्प यह है कि इस कार्यशाला को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/ जनपद पंचायत के माध्यम से बुलवायी जाये अथवा जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि के पत्र द्वारा। कार्यशाला का प्रस्तावित एजेन्डा तालिका में दिया गया है।

कार्यशाला का एजेन्डा

10:30-10:40	स्वागत एवं कार्यशाला का उद्देश्य
10:40-11:00	वन समितियों पर प्रस्तुतिकरण
11:00-11:20	विभागों के प्रतिनिधियों के प्रश्न और उस पर स्पष्टीकरण
11:20-11:45	वन समिति के क्षेत्र की आजीविका पर प्रस्तुतिकरण
11:45-12:05	विभागों द्वारा आजीविका की स्थिति पर चर्चा एवं स्पष्टीकरण
12:05-12:45	विभाग-वार योजनाओं की सूची जो आजीविका संवर्धन के लिये उपयोगी होंगी तथा विभाग और वन समितियों की बैठक की सारिणी का निर्माण
12:45-12:50	धन्यवाद प्रस्ताव एवं कार्यशाला का समापन

3.5.3 संस्थागत सम्पर्क

यदि किसी कारणवश कार्यशाला का आयोजन नहीं हो पा रहा है तो फिर वन विभाग के प्रतिनिधि को संस्थावार सम्पर्क करना पड़ेगा। इसके लिये यह प्रयास किया जाये कि जिला/ जनपद स्तर के संस्था के जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठक हो जिससे बैठक के अन्त में निर्णय लिये जा सकें।

3.5.4 प्रस्तुतिकरण

कार्यशाला या/ और बैठक के लिये वन विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण अनिवार्य रहेगा। इससे अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों में वन समिति को लेकर भ्रान्तियाँ दूर होंगी और वह अपने कार्यक्रमों में समिति को सम्मिलित करने की पहल कर सकेंगे। वन विभाग के प्रतिनिधि का यह दायित्व है कि वह अन्य शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सभी प्रकार के सवालों का जवाब दे और उन्हें वन समिति के साथ कार्य करने के लिये प्रेरित करें। अपनी मदद के लिये वह कुछ वन समिति के जागरूक सदस्यों को भी कार्यशाला या बैठक में आमन्त्रित कर सकते हैं। प्रस्तुतीकरण और चर्चा का उद्देश्य इस तथ्य को सामने लाये कि वन समितियों को संस्था की योजनाओं की जानकारी नहीं है तथा जरुरत है समिति की जानकारी बढ़ाने की। जानकारी बढ़ाने के लिये संस्था के प्रतिनिधियों को वन समिति का प्रशिक्षण करना होगा।

3.5.5 एक्शन प्लान

कार्यशाला या बैठक का समापन उपस्थित संस्थाओं के सदस्यों द्वारा एक एक्शन प्लान से हो। इस प्लान में कौन सी संस्था कब और कौन सी वन समिति का प्रशिक्षण करेगी उसका जिक्र होना चाहिये।

सिवनी प्रयोग

पशु पालन और उद्यानिकी

सिवनी जिले में कार्यशाला अथवा विभागवार बैठकें आयोजित करते समय यह देखा गया कि पशु पालन और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी वन समितियों के साथ कार्य करने कि लिये तत्पर हैं। ऐसा इसलिये था क्योंकि दोनों विभागों के पास क्षेत्र अधिकारियों की कमी थी और वह अपने विभाग की योजनाओं को अन्य विभागों के साथ मिल कर करने के लिये तैयार थे। यही स्थिति इन विभागों की लगभग सभी जिलों और जनपदों में देखने को मिलेगी। रणनीति में इन दोनों विभागों को प्राथमिकता देने से सफलता मिलने की संभावनाऐं अधिक हैं।

क्षमता वर्धन- शासकीय योजना

- विभाग के प्रतिनिधि के साथ गांव में आमसभा की तारीख और समय का निर्धारण
- गाँव सभा का आयोजन
- आजीविका सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी
- योजना दल/गांव के व्यक्तियों की विभाग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा
- योजनावार प्रस्तावों की संख्या तथा समयावधि को सुनिश्चित करना
- बैठक को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करना
- इस कार्य को पूर्ण करने में आठ से दस दिन लगेंगे

योजना दल द्वारा हितग्राही चयन की प्रक्रिया का संचालन

3.6 क्षमता वर्धन - शासकीय योजना

समन्वय की इस प्रक्रिया में सहजकर्ता अब तक अगुवाई कर एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे थे। इस प्रक्रिया में वह दो हितधारक समूह, नामतः, शासकीय संस्थाओं और योजना दल के बीच मध्यस्थता कर एक दूसरे के साथ काम करने के लिये तैयार कर रहे थे। इस प्रक्रिया में जहां वह योजना दल को गांव में आजीविका संवर्धन के लिये संभावित गतिविधियों की पहचान और सहयोग को चिन्हित करने के लिये उनका प्रशिक्षण एवं मदद कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वह अन्य शासकीय संस्थाओं को वन समितियों के कार्यों और गांव की व्यापक आजीविका का चित्रण कर संवेदित कर रहे थे। अब यह समन्वय की प्रक्रिया का वह पड़ाव है जहाँ से वन विभाग के प्रतिनिधियों की भूमिका में बदलाव आयेगा। इस चरण में वन विभाग के अधिकारी एक ओर सहजकर्ता और प्रेरक की भूमिका निभाऐंगे वहीं दूसरी ओर उनका उद्देश्य शासकीय संस्थाओं और वन समितियों के बीच सम्बन्ध तथा संवाद बनाने का होगा। इसका माध्यम वन समिति की शासकीय संस्थाओं की योजनाओं पर जानकारी और उन योजनाओं के लिये प्रस्ताव बनने का कौशल पर प्रशिक्षण रहेगा।

हॉलाकि यहां पर प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है पर इसको करने का तरीका व्यवहारिक रूप में बैठक का रहेगा। प्रशिक्षण कहने से उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैः जानकारी देना एवं प्रस्ताव बनाने का तरीका सीखना। बैठक का माध्यम शासकीय संस्थाओं और वन समिति के बीच उस अनौपचारिक वातावरण के निर्माण का है जिसके तहत योजना दल अपने प्रश्नों का निराकरण शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से करा सके।

प्रशिक्षण-बैठक को करने का तरीका इस प्रकार होगाः

1. पूर्व में तैयार किये गये एक्शन बिन्दुओं के आधार पर गांव में योजना दल की बैठक आयोजित की जाये। इस बैठक में वन समिति की कार्यकारिणी के सदस्य तो उपस्थित रहें साथ-साथ जिस सम्बन्धित आजीविका पर चर्चा हो रही है उससे सम्बन्धित सदस्यों की उपस्थिति भी हो। बैठक का स्थान एवं समय इस प्रकार निर्धारित हो जिससे शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों और गांव के सदस्यों को सहूलियत रहे।

2. बैठक की पूर्व तैयारी में गांव को बैठक के समबन्ध में सूचित करें और उनसे आपस में चर्चा कर अपने-अपने आजीविका से सम्बन्धित प्रश्न या मुद्दे तैयार करने को कहें।

3. निश्चित तारीख और समय पर आयोजित बैठक में शासकीय संस्था के प्रतिनिधि के साथ पहुँचे तथा बैठक की शुरूआत करें। बैठक में कार्यवाही को कौन लिखेगा इसका भी निर्धारण करें।

सिवनी प्रयोग
वन समिति के साथ बैठक का निर्धारण
बिनौरी वन समिति में घंसौर जनपद के पशु पालन विभाग के जनपद स्तरीय डाक्टर के साथ बैठक का समय और तारीख का निश्चय किया जा रहा था। इस चर्चा में समिति ने प्रस्ताव रखा कि यदि डाक्टर साहब के साथ विभाग का AVFO भी साथ में आये तो समिति गांव के जानवरों को एक स्थान पर एकत्रित कर लेगी और बैठक के साथ–साथ जानवरों का टीकाकरण भी हो जायेगा। यह बात पशु पालन विभाग को तुरन्त मान्य हो गयी क्योंकि अब उनके विभाग का कार्य भी साथ–साथ किया जा रहा था। इसका फायदा यह हुआ कि AVFO को जो घर–घर जा कर टीका लगााना पड़ता था अब उन्हे जानवर एक ही स्थान पर मिल जायेंगे और घूमना नहीं पड़ेगा। जब बैठक हुई तो 30 जानवरों का टीकाकरण भी हुआ और डाक्टर साहब ने समिति को भरपूर समय दिया।

4. सर्वप्रथम शासकीय संस्था के प्रतिनिधि को अपने विभाग की आजीविका सम्बन्धित योजनाओं के बारे में बताने को कहें। यहां पर ध्यान रहे कि प्रत्येक योजना के बारे में निम्न जानकारी अवश्य दी जा रही हो।
   - योजना का नाम
   - योजना से लाभ क्या मिलेगा
   - हितग्राही के लिये पात्रता क्या है
   - हितग्राही द्वारा दिये जाने वाला अंशदान कितना है और यह अंशदान जमा कैसे होगा
   - योजना प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव में क्या-क्या होना चाहिये कौन से प्रमाण-पत्र होंगे और क्या दस्तावेज लगेंगे
   - योजना का अनुमोदन किससे करवाना होगा
   - योजना के लिये प्रस्ताव कहां जमा होंगे और उनकी प्राप्ति कौन देगा
   - योजना की स्वीकृति के बारे में कैसे और कितने दिन बाद पता चलेगा
   - योजना का लाभ कब और कैसे प्राप्त होगा

5. प्रत्येक योजना के बारे में उपरोक्त जानकारी दिये जाने के बाद उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिये प्रेरित करें। यहां पर यह संभव है कि समूह में कुछ ऐसे सदस्य होंगे जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया होगा और लाभ प्राप्त नहीं कर पाये हों। ऐसी स्थिति में वन विभाग के सहजकर्ता द्वारा यह ध्यान रखा जाये कि प्रश्नों के माध्यम से दोषारोपण का माहौल ना बने। इससे संवाद विवाद का रूप ले लेगा।

6. प्रश्नों के स्पष्टीकरण के उपरान्त शासकीय संस्था के प्रतिनिधि से यह जानने का प्रयास करें कि वह योजनाओं के अन्तगर्त कितने प्रस्ताव उस गांव के लिये स्वीकृत कर सकते हैं। यह वह संख्या होगी जिसके सन्दर्भ में वन समिति प्रस्ताव बना सकेगी।

7. शासकीय संस्था के प्रतिनिधि से यह जाने कि प्रस्ताव संस्था के पास कब तक पहुँच जाना चाहिये और उसके पास पहुँचाने का तरीका क्या होगा। यहां पर यह अच्छा रहेगा यदि किसी एक योजना से लिये एक हितग्राही के सन्दर्भ में अभ्यास करने के लिये कुछ योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाये।

सिवनी प्रयोग

सोने पर सुहागा

घंसौर जनपद के उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ जब बिनौरी वन समिति ने सम्पर्क साधा और उन्हें वन समिति को विभाग की योजनाऐं बनाने के लिये आमन्त्रित किया तो उन्होंने तुरन्त उद्यानिकी के मिनी किट के बीज वन समिति को दिये और उन्हें बताया कि इन बीजों का वितरण वह आयोजित बैठक के समय करे।

बैठक में वन समिति को उद्यानिकी की योजनाओं की जानकारी देने के बाद 21 परिवारों को उद्यानिकी फसलों के बीजों का वितरण किया गया जिसमें सब्जी, फल और तुलसी के बीज शामिल थे। इससे वन समिति तो उत्साहित हुई साथ–साथ उद्यानिकी विभाग के अधिकारी समिति द्वारा हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया और बीज वितरण में हुई पारदर्शिता से प्रभावित भी हुए।

8. अन्त में, बैठक समाप्त करने से पहले जिस व्यक्ति को कार्यवाही लिखने की जिम्मेदारी दी गयी थी उससे कार्यवाही को पढ़ने के लिये कहा जाये। इससे यदि कोई जानकारी गलत नोट कर ली गयी हो तो उसे सुधारा जा सके।

उपरोक्त प्रशिक्षण-बैठक को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि एक बार में एक शासकीय संस्था के प्रतिनिधि के साथ योजना दल की यह बैठक की जाये। इससे विस्तार में चर्चा की जा सकेगी और संस्था के प्रतिनिधि अपना पर्याप्त समय वन समिति को दे पायेंगे।

बैठक के उपरान्त योजना दल के साथ बैठकर यह तय किया जाये किः

कौन सी योजनाओं का लाभ समिति के सदस्य लेने के लिये तैयार है। यदि मांग पूर्ति से अधिक है तो समिति को प्राथमिकता तय करने को कहें।

योजना दल से उनके एक्शन बिन्दु बनाने को कहें जिसमेंः

- ➢ हितग्राहियों के चयन
- ➢ प्रस्ताव बनाने
- ➢ सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने
- ➢ प्रस्तावों को ग्राम सभा या/और ग्राम पंचायत से अनुमोदन करवाने की निश्चित तारीखें हो जिसके आधार पर वन समिति की कार्यकारिणी की मॉनीटरिंग की जा सकेगी।

यहां यह भी जानने का प्रयास करें कि प्रस्ताव बनाने की इस प्रक्रिया में क्या योजना दल को किसी प्रकार के मदद अथवा सहयोग की आवश्यकता होगी। इस सहयोग को किस प्रकार दिया जा सकता है इसका निर्णय सहजकर्ता / वन विभाग के प्रतिनिधि को तय कर योजना दल को बताना होगा।

सिवनी प्रयोग

चक्रीय राशि

वन समिति बिनौरी को घंसौर पशु–पालन विभाग के डाक्टर द्वारा गांव में पशु–पालन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। इनमें से गांव वालों ने मुर्गी–पालन की ईकाई और अच्छी नस्ल के बकरे के सन्दर्भ में अपनी रूचि दिखाई। पशु–पालन विभाग की ओर से यह बताया गया कि यदि गांव से 10 मुर्गी पालन की ईकाइयों के आवेदन आते हैं तो चूजे सीधे गांव में भिजवा दिये जायेंगे जिससे उनकी यात्रा पर होने वाला व्यय बच जायेगा। समिति ने आश्वासन दिया कि वह 10 ईकाइयों की ही मांग रखेगी।

जुलाई का महीना था और फसल बोई जा चुकी थी और चयनित हितग्राहियों के पास अंशदान की राशि जमा करने के लिये पैसे नही थे। हितग्राहियों ने वन समिति से आवेदन किया कि यदि अंशदान की रकम वह जमा कर दे तो हितग्राही आने वाले साल में यह रकम मय ब्याज के जमा कर देंगे। वन समिति ने विचार कर अपनी सहमति व्यक्त की और अंशदान जमा करने के लिये तैयार हो गयी। इतना ही नहीं वन समिति ने 4800 रूपयें की इस राशि को चक्रीय ढंग से इस्तेमाल करने की योजना बनायी जिससे आने वाले समय में अन्य हितग्राही भी इससे लाभान्वित हो सके तथा वर्तमान में चयनित हितग्राहियों पर पैसा वापस करने का सामाजिक दबाव भी बन सके। इस प्रकार वन समिति के 4800 रूपयों के नियोजन से 11 परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ।

अब आपके पास योजना दल द्वारा घोषित प्रस्तावों और प्रकरणों की संख्या तथा उनको अन्तिम रुप देने की मॉनीटरिंग का कार्य रहेगा। इस पड़ाव पर वन समिति को प्रेरित करना और उनका उत्साहवर्धन करना तथा उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना आवश्यक है। यह भी संभव है कि योजना दल को वित्तीय, तकनीकी या फिर संसाधनों की आवश्यकता हो जिसके लिये सहजकर्ता को अलग से प्रयास करने पड़ सकते है।

योजना दल के प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं अनुसरण

- योजना दल द्वारा हितग्राहियों का चयन
- योजना दल द्वारा प्रस्ताव बनाना तथा उनको अन्तिम रूप देना
- तैयार किये गये प्रस्तावों को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से अनुमोदन करवाना ।
- इस प्रक्रिया में एक दो माह का समय लगने की संभावना है ।

उद्यानिकी विभाग

यह लीजिये हमारे गांव के फल विकास कार्यक्रम में फलों की मांग सूची और यह रहा हमारा अंशदान
अरे वाह! इस बार मुझे अपना लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत नहीं आयेगी

3.7 योजना दल के प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण एवं अनुसरण

चूंकि योजना दल को शासकीय संस्थाओं की कार्य संस्कृति एवं कार्य पद्धति की अधिक जानकारी नहीं है इसलिये शुरू-शुरू में किसी भी शासकीय संस्था के लिये तैयार किये प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले उन्हें सहजकर्ता द्वारा देख लेना आवश्यक होगा। इन प्रस्तावों को निम्न बिन्दुओं पर देखा जा सकता हैः

- क्या प्रस्ताव पूरे हैं
- क्या सभी प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं
- क्या प्रस्तावों को तरीके से लगाया गया है
- क्या इन प्रस्तावों को मुखपत्र के साथ पेश किया जा रहा है

उपरोक्त बिन्दुओं पर देखने के बाद योजना दल द्वारा प्रस्तावों को संस्था में जमा करने के लिये प्रेरित करें। अक्सर पहली बार किसी संस्था में जाने से समिति के सदस्य झिझकते हैं, इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि आप साथ जायें और उनका आत्माविश्वास बढ़ायें। साथ जाने का यह मतलब नहीं है कि जमा करना और रसीदी प्राप्त करना आपका काम होगा। यह कार्य तो योजना दल के सदस्य ही करेंगे। आपका हस्तक्षेप तभी होगा जब समिति को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या आ रही होगी। प्रस्तावों को पेश कर उनकी रसीदी प्राप्त करके इसे वन समिति की कार्यवाही पंजी में चढ़ाने के लिये कहें।

योजना दल के सदस्यों के लिये प्रत्येक संस्था के साथ सम्पर्क कर प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का अनुसरण करने के लिये समय और संसाधन की कमी हो सकती है। इस कार्य की जिम्मेदारी का निर्वहन सहजकर्ता के प्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। अनुसरण के दौरान प्राप्त जानकारी को योजना दल तक सम्प्रेषित करना भी वन विभाग की ही जिम्मेदारी हेागी। इससे योजना दल के सदस्यों का उत्साह बना रहेगा तथा उनको पूरी और सही जानकारी मिलती रहेगी।

3.8 फीडबैक (**Feedback**)

शासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय एक सतत प्रक्रिया का भाग है। अर्थात, संस्था के साथ एक बार का नहीं अपितु संस्थागत सम्बन्ध बनाना वन विभाग का और योजना दल का उद्देश्य है। इसके लिये जिन संस्थाओं के साथ रिश्तों की शुरूआत हो चुकी है उनको गहरा और व्यापक करने की आवश्यकता होगी। इसके लिये इन सभी शासकीय संस्थाओं को उनके द्वारा दिये गये सहयोग पर फीडबैक (Feedback) देने से रिश्तों की डोर बनी रहेगी और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। पुनर्निवेशन निम्न के माध्यम से दिया जा सकता हैः

- धन्यवाद पत्र
- योजना की क्रियान्वयन रिपोर्ट
- योजना से प्राप्त लाभ से आजीविका में हो रहा बदलाव
- हितग्राहियों से संवाद करने के लिये निमन्त्रण

संस्थाओं को फीडबैक (Feedback) का मुख्य उद्देश्य इन संस्थाओं को प्रेरित करना और उनका उत्साह बढ़ाना है।

साक्षात्कार करने वाले का नाम :

तारीख :

परिशिष्ट 1: (अ) परिवार की आजीविका की दशा जानने के लिये प्रपत्र

गांव का नाम

परिवार के सदस्य

	नाम	उम्र	लिंग
1			
2			
3			
4			

पशुपालन

	गांव में स्व–सहायता समूह	हां / नहीं				
सामाजिक	गांव में दुग्ध कॉपरेटिव	हां / नहीं				
	अन्य संस्थाऐ (नाम)					
भौतिक	जानवर (प्रकार)					
	संख्या					
	नस्ल का नाम लिखें					
	चारा (नाम लिखें)					
आर्थिक	क्या बेचते हैं पशु / उत्पाद					
	कहां बेचते हैं?					
	कितने में बेचते हैं?					
क्षमता	पशु की देखभाल कौन करता है					
	पशु के बीमार होने पर कहां जाते हैं?					
प्राकृतिक	क्या गांव में चरनोई है?					

- सामाजिक – औपचारिक और अनौपचारिक संगठन जिनके आधार पर परिवार संस्थाओं और जानकारियों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करता है
- भौतिक – इसमे वह सम्पत्तियाँ आती है जिनके द्वारा गतिविधि का निर्वहन होता हैं
- आर्थिक – इसमें परिवार के वित्तीय संसाधन, बाजार पर पकड़ एवं उत्पाद की कीमत शामिल है
- मानवीय – जानकारी, ज्ञान, श्रम, क्षमता, कौशल और शैक्षणिक स्तर शामिल है
- प्राकृतिक – यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर आय–सृजन की गतिविधि निर्भर है

जंगल

सामाजिक	गांव में वन समिति	हां/नही				
	अन्य समिति विभाग द्वारा (नाम लिखें)					
भौतिक	औजार (नाम लिखें)					
	स्टोर करने की जगह (लिखें)					
आर्थिक		लकड़ी	बीज	पत्ते	फल	जड़ें
	जंगल से क्या एकत्र करते हैं?					
	कितना एकत्र करते है?					
	कौन सी वनोपज बेचते हैं					
	वनोपज कहां बेचते हैं?					
	वनोपज बेचने की दर क्या है					
क्षमता	वनोपज एकत्र करने कौन जाता है					
प्राकृतिक	कौन सी प्रजातियां कम हो रही हैं (नाम लिखें)					

मजदूरी

सामाजिक	क्या मजदूरों का संगठन है?					
भौतिक	औजार (नाम लिखें)					
आर्थिक	पलायन					
	कहां जातें है (नाम लिखें)					
	मजदूरी दर कितनी है?					
	कमाई रुपये में प्रतिवर्ष					

- सामाजिक – औपचारिक और अनौपचारिक संगठन जिनके आधार पर परिवार संस्थाओं और जानकारियों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करता है
- भौतिक – इसमे वह सम्पत्तियाँ आती है जिनके द्वारा गतिविधि का निर्वहन होता हैं
- आर्थिक – इसमें परिवार के वित्तीय संसाधन, बाजार पर पकड़ एवं उत्पाद की कीमत शामिल है
- मानवीय – जानकारी, ज्ञान, श्रम, क्षमता, कौशल और शैक्षणिक स्तर शामिल है
- प्राकृतिक – यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर आय–सृजन की गतिविधि निर्भर है

मजदूरी...

	किसके साथ जाते हैं					
	पलायन के लिये कितना उधार लेते हैं (रुपये में)					
	ब्याज की दर क्या है					
		पंचायत	वन समिति	अन्य		
गांव में	काम कौन देता है?					
	वर्ष में कितने दिन मिलता है?					
	मजदूरी दर क्या है रु.प्रतिदिन					
क्षमता	कौन जाता है					
	कितने दिन के लिये काम करते है?					
	क्या काम करते हैं					
प्राकृतिक						

- सामाजिक – औपचारिक और अनौंपचारिक संगठन जिनके आधार पर परिवार संस्थाओं और जानकारियों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करता है
- भौतिक – इसमे वह सम्पत्तियाँ आती है जिनके द्वारा गतिविधि का निर्वहन होता हैं
- आर्थिक – इसमें परिवार के वित्तीय संसाधन, बाजार पर पकड़ एवं उत्पाद की कीमत शामिल है
- मानवीय – जानकारी, ज्ञान, श्रम, क्षमता, कौशल और शैक्षणिक स्तर शामिल है
- प्राकृतिक – यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर आय–सृजन की गतिविधि निर्भर है

कृषि

सामाजिक	गांव में कृषि समिति	हां/ नहीं				
भौतिक		जुताई	बीज	खाद	कीटनाशक	कटाई
	स्वयं से या बाहर से खरीदते है?					
	खर्चा रु. में प्रतिवर्ष					
आर्थिक	फसलें (नाम लिखें)					
	उत्पादन (क्विंटल में)					
	घर के उपयोग में या बेचते हैं					
	कहां बेचते हैं (जगह के नाम)					
	कितना बेचते हैं (क्विंटल)					
	कितने में बेचते हैं (रु. प्रति क्विंटल)					
क्षमता	कृषि कौन करता है					
प्राकृतिक		कितनी है	कैसी है	मिटटी का प्रकार	पट्टा है	पानी
	जमीन (एकड़ में)					

- सामाजिक – औपचारिक और अनौंपचारिक संगठन जिनके आधार पर परिवार संस्थाओं और जानकारियों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करता है
- भौतिक – इसमे वह सम्पत्तियाँ आती है जिनके द्वारा गतिविधि का निर्वहन होता हैं
- आर्थिक – इसमें परिवार के वित्तीय संसाधन, बाजार पर पकड़ एवं उत्पाद की कीमत शामिल है
- मानवीय – जानकारी, ज्ञान, श्रम, क्षमता, कौशल और शैक्षणिक स्तर शामिल है
- प्राकृतिक – यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर आय–सृजन की गतिविधि निर्भर है

(ब) आजीविका प्रपत्र द्वारा एकत्रित जानकारी को कम्प्यूटर में दर्ज कराने का तरीका

1. एक EXCEL की फाइल गांव के नाम से खोलें।

2. इस फाइल में निम्न वर्कशीट (Worksheet) बनाऐं और उसमें जानकारी को दर्ज करें

Worksheet 1

परिवार के सदस्य				
क्र	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्य	लिंग	उम्र

Worksheet 2

सामाजिक						
क्र	परिवार के मुखिया का नाम	स्व सहायतस समूह	दुग्ध कॉपरेटिव	वन समिति	कृषि समिति	दीनदयाल समिति

Worksheet 3

पशुपालन											
क्र	परिवार के मुखिया का नाम	जानवर (प्रकार)	संख्या	नस्ल का नाम	चारा (नाम लिखें)	क्या बेचते हैं	कहां बेचते हैं?	कितने में बेचते हैं?	पशु की देखभाल कौन करता है	पशु के बीमार होने पर कहां जाते हैं?	क्या गांव में चरनोई है?

Worksheet 4

जंगल

क्र	परिवार के मुखिया का नाम	गांव में वन समिति	अन्य समिति	औजार	स्टोर करने की जगह	जंगल से क्या एकत्र करते हैं?	कितना एकत्र करते है?	कौन सी वनोपज बेचते हैं	वनोपज कहां बेचते हैं?	वनोपज बेचने की दर क्या है	वनोपज एकत्र करने कौन जाता है

Worksheet 5

मजदूरी

क्र	परिवार के मुखिया का नाम	क्या मजदूरों का संगठन है?	औजार (नाम लिखें)	पलायन							
				कहां जातें है (नाम लिखें)	मजदूरी दर कितनी है?	कमाई रुपये में प्रतिवर्ष	किसके साथ जाते हैं	पलायन के लिये कितना उधार लेते हैं (रुपये में)	ब्याज की दर क्या है	काम कौन देता है?	वर्ष में कितने दिन मिलता है?

Worksheet 6

कृषि

क्र	परिवार के मुखिया का नाम	गांव में कृषि समिति	जुताई (बाहर से या स्वयं)	बीज (बाहर से या स्वयं)	खाद (बाहर से या स्वयं)	कीटनाश्क (बाहर से या स्वयं)	कटाई (बाहर से या स्वयं)	जुताई में खर्चा	बीज में खर्चा	खाद में ख्र्चा	कीटनाश्क में खर्चा

Worksheet 7

कृषि

क्र	परिवार के मुखिया का नाम	कौन सी फसल लेते हैं	उत्पादन	घर में उपयोग या बेचते हैं	कहा बेचते हैं	कितना बेचते हैं	कितने में बेचते हैं प्रति क्विंटल	कृषि कौन करता है	जमीन कितनी है	जमीन कैसी है	मिट्टी का प्रकार

उदाहरण (एक) कृषि से सम्बन्धित जानकारी इस प्रकार की होगी

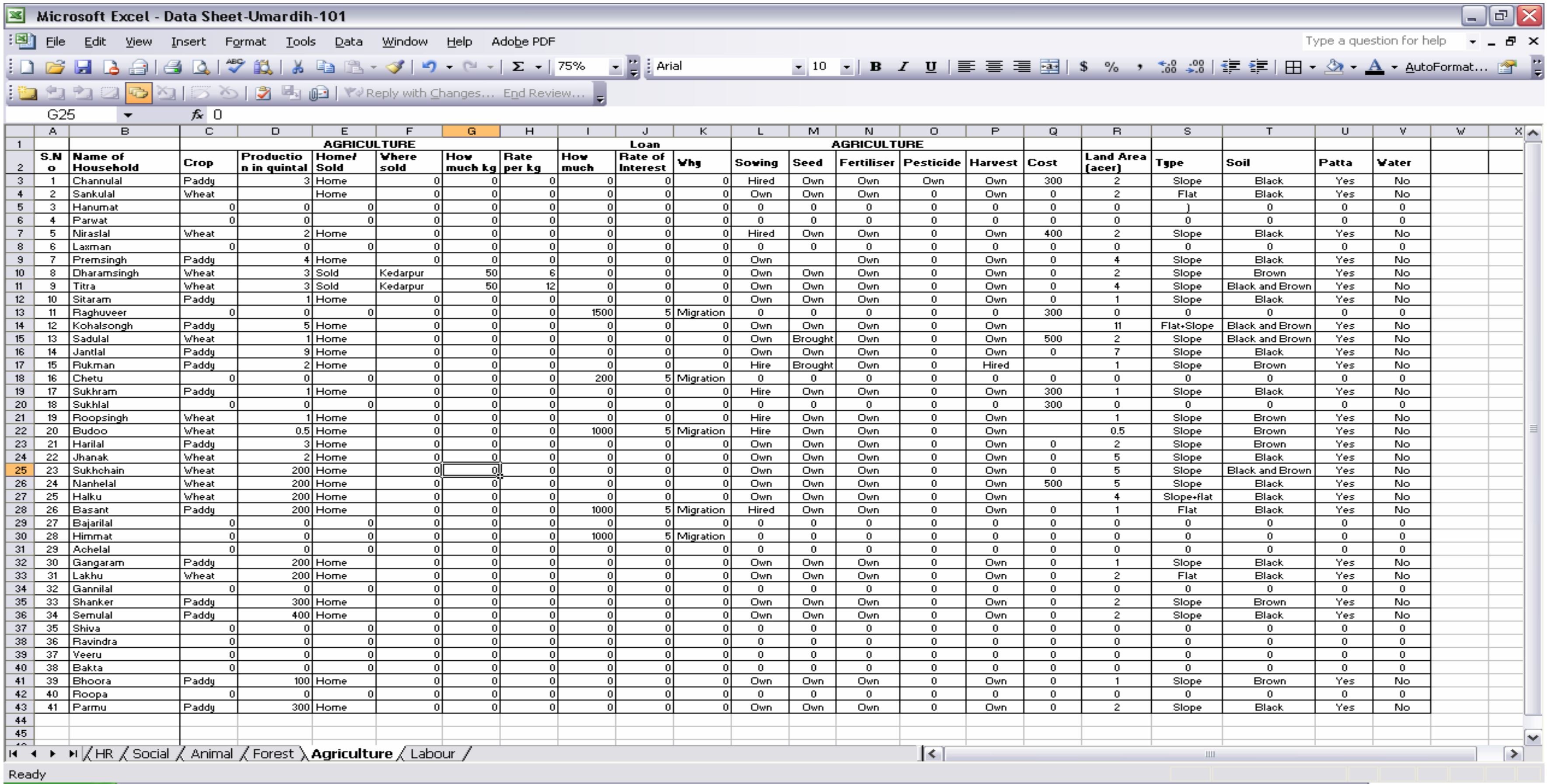

		AGRICULTURE						Loan			AGRICULTURE										
S.No	Name of Household	Crop	Production in quintal	Home/ Sold	Where sold	How much kg	Rate per kg	How much	Rate of Interest	Why	Sowing	Seed	Fertiliser	Pesticide	Harvest	Cost	Land Area (acer)	Type	Soil	Patta	Water
1	Channulal	Paddy	3	Home	0	0	0	0	0	0	Hired	Own	Own	Own	Own	300	2	Slope	Black	Yes	No
2	Sankulal	Wheat		Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Flat	Black	Yes	No
3	Hanumat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	)	0	0	0
4	Parwat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Niraslal	Wheat	2	Home	0	0	0	0	0	0	Hired	Own	Own	0	Own	400	2	Slope	Black	Yes	No
6	Laxman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Premsingh	Paddy	4	Home	0	0	0	0	0	0	Own		Own	0	Own	0	4	Slope	Black	Yes	No
8	Dharamsingh	Wheat	3	Sold	Kedarpur	50	6	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Brown	Yes	No
9	Titra	Wheat	3	Sold	Kedarpur	50	12	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	4	Slope	Black and Brown	Yes	No
10	Sitaram	Paddy	1	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	1	Slope	Black	Yes	No
11	Raghuveer	0	0	0	0	0	0	1500	5	Migration	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
12	Kohalsongh	Paddy	5	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own		11	Flat+Slope	Black and Brown	Yes	No
13	Sadulal	Wheat	1	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Brought	Own	0	Own	500	2	Slope	Black and Brown	Yes	No
14	Jantlal	Paddy	9	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	7	Slope	Black	Yes	No
15	Rukman	Paddy	2	Home	0	0	0	0	0	0	Hire	Brought	Own	0	Hired		1	Slope	Brown	Yes	No
16	Chetu	0	0	0	0	0	0	200	5	Migration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sukhram	Paddy	1	Home	0	0	0	0	0	0	Hire	Own	Own	0	Own	300	1	Slope	Black	Yes	No
18	Sukhlal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
19	Roopsingh	Wheat	1	Home	0	0	0	0	0	0	Hire	Own	Own	0	Own		1	Slope	Brown	Yes	No
20	Budoo	Wheat	0.5	Home	0	0	0	1000	5	Migration	Hire	Own	Own	0	Own		0.5	Slope	Brown	Yes	No
21	Harilal	Paddy	3	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Brown	Yes	No
22	Jhanak	Wheat	2	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	5	Slope	Black	Yes	No
23	Sukhchain	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	5	Slope	Black and Brown	Yes	No
24	Nanhelal	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	500	5	Slope	Black	Yes	No
25	Halku	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own		4	Slope+flat	Black	Yes	No
26	Basant	Paddy	200	Home	0	0	0	1000	5	Migration	Hired	Own	Own	0	Own	0	1	Flat	Black	Yes	No
27	Bajarilal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Himmat	0	0	0	0	0	0	1000	5	Migration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Achelal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gangaram	Paddy	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	1	Slope	Black	Yes	No
31	Lakhu	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Flat	Black	Yes	No
32	Gannilal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Shanker	Paddy	300	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Brown	Yes	No
34	Semulal	Paddy	400	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Black	Yes	No
35	Shiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ravindra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Veeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bakta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Bhoora	Paddy	100	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	1	Slope	Brown	Yes	No
40	Roopa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Parmu	Paddy	300	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Black	Yes	No

उदाहरण (दो) मजदूरी से सम्बन्धित जानकारी इस प्रकार की होगी

		AGRICULTURE						Loan			AGRICULTURE										
S.No	Name of Household	Crop	Production in quintal	Home/ Sold	Where sold	How much kg	Rate per kg	How much	Rate of Interest	Why	Sowing	Seed	Fertiliser	Pesticide	Harvest	Cost	Land Area (acer)	Type	Soil	Patta	Water
1	Channulal	Paddy	3	Home	0	0	0	0	0	0	Hired	Own	Own	Own	Own	300	2	Slope	Black	Yes	No
2	Sankulal	Wheat		Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Flat	Black	Yes	No
3	Hanumat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	)	0	0	0
4	Parwat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Niraslal	Wheat	2	Home	0	0	0	0	0	0	Hired	Own	Own	0	Own	400	2	Slope	Black	Yes	No
6	Laxman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Premsingh	Paddy	4	Home	0	0	0	0	0	0	Own		Own	0	Own	0	4	Slope	Black	Yes	No
8	Dharamsingh	Wheat	3	Sold	Kedarpur	50	6	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Brown	Yes	No
9	Titra	Wheat	3	Sold	Kedarpur	50	12	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	4	Slope	Black and Brown	Yes	No
10	Sitaram	Paddy	1	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	1	Slope	Black	Yes	No
11	Raghuveer	0	0	0	0	0	0	1500	5	Migration	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
12	Kohalsongh	Paddy	5	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own		11	Flat+Slope	Black and Brown	Yes	No
13	Sadulal	Wheat	1	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Brought	Own	0	Own	500	2	Slope	Black and Brown	Yes	No
14	Jantlal	Paddy	9	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	7	Slope	Black	Yes	No
15	Rukman	Paddy	2	Home	0	0	0	0	0	0	Hire	Brought	Own	0	Hired		1	Slope	Brown	Yes	No
16	Chetu	0	0	0	0	0	0	200	5	Migration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sukhram	Paddy	1	Home	0	0	0	0	0	0	Hire	Own	Own	0	Own	300	1	Slope	Black	Yes	No
18	Sukhlal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
19	Roopsingh	Wheat	1	Home	0	0	0	0	0	0	Hire	Own	Own	0	Own		1	Slope	Brown	Yes	No
20	Budoo	Wheat	0.5	Home	0	0	0	1000	5	Migration	Hire	Own	Own	0	Own		0.5	Slope	Brown	Yes	No
21	Harilal	Paddy	3	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Brown	Yes	No
22	Jhanak	Wheat	2	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	5	Slope	Black	Yes	No
23	Sukhchain	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	5	Slope	Black and Brown	Yes	No
24	Nanhelal	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	500	5	Slope	Black	Yes	No
25	Halku	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own		4	Slope+flat	Black	Yes	No
26	Basant	Paddy	200	Home	0	0	0	1000	5	Migration	Hired	Own	Own	0	Own	0	1	Flat	Black	Yes	No
27	Bajarilal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Himmat	0	0	0	0	0	0	1000	5	Migration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Achelal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gangaram	Paddy	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	1	Slope	Black	Yes	No
31	Lakhu	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Flat	Black	Yes	No
32	Gannilal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Shanker	Paddy	300	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Brown	Yes	No
34	Semulal	Paddy	400	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Black	Yes	No
35	Shiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Ravindra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Veeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bakta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Bhoora	Paddy	100	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	1	Slope	Brown	Yes	No
40	Roopa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Parmu	Paddy	300	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2	Slope	Black	Yes	No

(स) कम्प्यूटर में दर्ज जानकारी का उपयोग

गांव में एक सी ही आजीविका करने वाले परिवारों के लिये विभाग की योजना को पहचानना। उदाहरण के लिये वर्कशीट में फिल्टर का उपयोग कर उन परिवारों की स्थिति जानी जा सकती है जो रबी में गेहूं पैदा कर रहे हैं और उनको कृषि विभाग की एकीकृत बीज योजना पृष्ठ क्र. 61 के अन्तर्गत प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाया जा सकता है।

Microsoft Excel - Data Sheet-Umardih-101

			AGRICULTURE						Loan			AGRICULTURE						
	S.No	Name of Household	Crop	Production in quintal	Home/Sold	Where sold	How much k…	Rate per kg	How much	Rate of Interst	Why	Sowing	Seed	Fertiliser	Pesticide	Harvest	Cost	Land Area (acer)
4	2	Sankulal	Wheat		Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2
7	5	Niraslal	Wheat	2	Home	0	0	0	0	0	0	Hired	Own	Own	0	Own	400	2
10	8	Dharamsingh	Wheat	3	Sold	Kedarpur	50	6	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2
11	9	Titra	Wheat	3	Sold	Kedarpur	50	12	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	4
15	13	Sadulal	Wheat	1	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Brought	Own	0	Own	500	2
21	19	Roopsingh	Wheat	1	Home	0	0	0	0	0	0	Hire	Own	Own	0	Own		1
22	20	Budoo	Wheat	0.5	Home	0	0	0	1000	5	Migration	Hire	Own	Own	0	Own		0.5
24	22	Jhanak	Wheat	2	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	5
25	23	Sukhchain	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	5
26	24	Nanhelal	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	500	5
27	25	Halku	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own		4
33	31	Lakhu	Wheat	200	Home	0	0	0	0	0	0	Own	Own	Own	0	Own	0	2

HR / Social / Animal / Forest / Agriculture / Labour

12 of 41 records found

इसी प्रकार गांव में उन परिवारों की पहचान की जा सकती है जो पलायन करते हैं इन पलायनकर्ताओं में से कितने व्यक्ति ठेकेदारों के साथ जाते हैं जिन को श्रम विभाग पृष्ठ क्र. 59 के प्रवासी कृषि श्रमिकों के पंजीयन के साथ जोड़ा जा सकता है।

Microsoft Excel - Data Sheet-Umardih-101

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			LABOUR							LABOUR-Implements			
2	S.N	Name of House	Where	Place	Rate	Incom	How do you	No of da	Work Do	Phawr	Geti	Hansia	
4	2	Sankulal	Migration	Narsinghpur	50	2000	Contractor	40	Non Ag	0	0	0	
27	10	Sitaram	Migration	Narsinghpur	60	2000	Contractor	30	Non Ag	0	1	0	
46	16	Chetu	Migration	Narsinghpur	50	6000	Contractor	60	Non Ag	1	1	1	
50	17	Sukhram	Migration	Jabalpur	50	3000	Contractor	30	Non Ag	1	1	1	
53	18	Sukhlal	Migration	Jabalpur	50	3000	Contractor	60	Non Ag	1	1	1	
56	19	Roopsingh	Migration	Jabalpur	50	2500	Contractor	50	Non Ag	1	1	0	
65	22	Jhanak	Migration	Jabalpur	50	3000	Contractor	30	Non Ag	1	1	0	
78	27	Bajarilal	Migration	Narsinghpur	50	1000	Contractor	20	Non Ag	1	1	1	Ironsmith
93	32	Gannilal	Migration	Jabalpur	60	6000	Contractor	50	Non Ag	1	1	1	
98	34	Semulal	Migration	Jabalpur	50	2000	Contractor	20	Non Ag	1	1	1	
105	36	Ravindra	Migration	Jabalpur	50	2000	Contractor	30	Non Ag				
115	40	Roopa	Migration	Jabalpur	60	3000	Contractor	30	Non Ag	1	1	1	
118	41	Parmu	Migration	Jabalpur	50	3000	Contractor	30	Non Ag	1	1	1	

HR / Social / Animal / Forest / Agriculture / Labour

13 of 120 records found

शासकीय योजनाओं की जानकारी

परिशिष्ट 2: शासकीय योजनाओं की जानकारी

मत्स्योद्योग विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	मत्स्य सहकारिता	• सामान्य (1 हेक्टर से बड़ा जलक्षेत्र) • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (1 हेक्टर से बड़ा जलक्षेत्र)	नाव, जाल, डोंगा, तालाब, पट्टा राशि, मत्स्य बीज की खरीद हिस्सा पूंजी (25000रू.अनुदान) नाव,जाल,डोंगा,तालाब,पट्टा,राशि, मत्स्य बीज की खरीद,हिस्सा पूंजी (150000रू.अनुदान)	रु 5000 और मछली पालन में पंचायत से पट्टा लेकर तालाब में मत्स्य विभाग में अशंदान राशि जमा कर यह सामग्री प्राप्त की जा सकती हैं
2	जन श्री बीमा	मत्स्य पालन	बीमा	रु 50
3	मत्स्य पालन प्रसार	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	नाव, जाल, डोंगा, तालाब, पट्टा,राशि, मत्स्य बीज की खरीद हिस्सा पूंजी (15000रू.अनुदान)	–
4	मत्स्य बीज उत्पादन	निजी मत्स्य बीज उत्पादक	बैक से 100000 का ऋण	–
5	जलाशयों में मत्स्यद्योग विकास	सभी वर्ग एंव समितियों के लिये	2000 हेक्टयर औसत जलक्षेत्र के तालाब पट्टा आबंटन	–
6	शिक्षण और प्रशिक्षण	सभी वर्ग	15 दिवसीय प्रशिक्षण	–
7	मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा	सभी वर्ग के लिए	18 से 65 वर्ष की आयु के सकिीय मछुवारों का निःशुल्क बीमा	–
8	बचत सह राहत योजना	सभी वर्ग	900 रू बन्द ऋतु की अवधि में आर्थिक सहायता	–
9	मछुआ आवास गृहो का निर्माण	सभी वर्ग के लिए	निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाना	–

मत्स्योद्योग विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
10	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण	सभी वर्ग के लिए	तालाब मरम्मत और सुधार,जाली लगाने पर अनुदान (प्रति हेक्टर रू.60000 की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू. 12000 अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों को 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू. 15000)	80 प्रतिशत प्रस्ताव बना कर उपसंचालक मत्स्योद्योग को देना
		सभी वर्ग के लिए	इनपुट लागत मत्स्य बीज, आहार, उर्वरक, खाद रोग प्रतिरोधक दवाईयों के लिए सामान्य वर्ग को 30000 की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू. 6000 और अ.ज./अ.जा. को 25 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम सीमा 7500	सामान्य वर्ग को 80 प्रतिशत, अ.जा.ज.जा.को 75 प्रतिशत
		सभी वर्ग के लिए	मत्स्य पालक प्रशिक्षुओं के दस दिवसीय प्रशिक्षण के लिये क्षतिपूर्ति भत्ता (100रू प्रतिदिन तथा 100रू. प्रशिक्षण सिल तक आने जाने का व्यय अध्ययन भ्रमण के लिए)	–
		सभी वर्ग के लिए	मत्स्य पालक की स्वंय की भूमि पर नये पोखरों के निर्माण, आगम निर्गम मार्गों पर जाली, कम गहरे नलकूप इत्यादि पर अनुदान केवल एक बार (200000 की लागत का सामान्य वर्ग को 20 प्रतिशत अनुदान और अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान)	–
		सभी वर्ग के लिए	सूअर पालन, मुर्गी पालन, और बतख पालन के साथ मछली पालने की समन्वित पालन परियोजना (प्रति हेक्टर रू. 80000 की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू.16000 समस्त वर्गो के मछुआरों के लिए और अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू. 20000 प्रति हैं)	75 प्रतिशत
		सभी वर्ग के लिए	जिन मत्स्य पालकों द्वारा 3000 किलो प्रतिवर्ष प्रति हेक्टयर मछली उत्पादन लिया गया हैं उनको उत्पादन बढ़ाने के लिये वायुयंत्र एरियेटर खरीदी पर अनुदान (प्रति हेक्टयर रू. 50000 की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू. 12500 समस्त वर्ग के मछुआरों के लिये)	–
11	विस्तार और प्रशिक्षण	सभी वर्ग हेतु	प्रगतिशील मत्स्य पालको को राज्य के बाहर नवीन विकसित तकनीक का प्रशिक्षण हेतु भ्रमण पर ले जाना	–

उद्योग विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	प्रधान मन्त्री रोजगार योजना	• व्यक्तिगत या सामूहिक • 18–35 वर्ष अ.जा./अ.ज.जा./ महिलाऐं/ निशक्त 8वीं पास व्यक्ति • परिवार की आय 1 लाख से कम	• प्रशिक्षण • उद्यम के लिये लागत का 15 प्रतिशत या 12500 रुपये तक का अनुदान	–
2	दीन दयाल योजना	• व्यक्तिगत • शिक्षित बेरोजगार 10वी पास जिनका नाम रोजगाार कार्यालय में पंजीकृत है • परिवार की आय 1.5 लाख से कम	• स्वरोजगाार के लिये मार्जिन मनी – 7500 से 40000 रुपये तक	–
3	रानी दुर्गावती योजना	• व्यक्तिगत • परिवार की आय 3 लाख से कम • अ.जा./अ.ज.जा.	• उद्यम स्थापना के लिये 1 से 5 लााख तक का कर्ज	–

मध्य प्रदेश आदिवासी विकास निगम				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	स्व रोजगार	• व्यक्तिगत • आदिवासी जन जाति के व्यक्ति	• स्व रोजगार के लिये कम ब्याज पर कर्जा	–
2	प्रशिक्षण	• व्यक्तिगत • आदिवासी जन जाति के व्यक्ति	• स्व रोजगार के लिये प्रशिक्षण	–

महिला बाल विकास विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	स्वयं सिद्धा	• समूह आधारित • महिलाऐं	• स्व–सहायता समूह का निर्माण • बैंक के साथ जुड़ाव • बैंक से कर्ज	–

श्रम विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन	• ठेकेदार के माध्यम से पलायन करने वाले श्रमिक	• पलायनकर्ता श्रमिक • न्यूनतम मजदूरी दर सुनिश्चित	–
2	इन्दिरा कृषि श्रमिक बीमा योजना	• कृषि श्रमिक	• दुर्घटना के फलस्वरूप अंग भंग या मृत्यु होने की दशा में क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है अंग भंग रुपये 2000/– रुपये 3000/– दो अंगभंग अथवा मृत्यु रुपये 10,000/– रुपये 15,000	–

कृषि विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	खेत तालाब योजना	समस्त वर्ग के किसान	• आकार–15 मी.x15 मी. x 3 मी. अनुमानित लागत रू 13400/ जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 16350 रू अनुदान • आकार–21मी. x 18 मी. x 3 मी. अनुमानित लागत रू 24200/ जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान या अधिक्तम 16350 रू अनुदान • आकार–23मी. x 21 मी. x 3 मी. अनुमानित लागत रू 327200/ जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान या 16350 रू अनुदान	50 प्रतिशत अंशदान
2	मक्का की एकीकृत योजना	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के कृषक	0.1 से 0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिये वास्तविक मूल्य के 100 प्रतिशत अनुदान कृषकों का बीज मिनिकिट का वितरण	नही
3	सघन कपास विकास कार्यक्रम	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के कृषक		–
3.1	बीज वितरण		• प्रमाणित बीज वितरण 15 वर्ष के अदंर हायब्रीड एवं उन्नतशील किस्मों के बीजों पर रू 20 प्रति किलों आर्थिक सहायता • कृषि यंत्रों के अग्र पंक्ति प्रदर्शन हेतु 100 प्रति किलो सहायता	–
3.2	स्प्रिकंलर सेट		50 प्रतिशत अथवा रू.5500 जो भी कम हो	50 प्रतिशत
3.3	ड्रिप सिंचाई		इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू 25000 प्रति हैक्टर तथा जल ग्रहण क्षेत्रों में कीमत का 60 प्रतिशत अधिकतम रू 30000 प्रति हैक्टर	50 प्रतिशत
3.4	कृषक खेत पाठशाला		30 कृषकों में 17000 प्रति पाठशाला की दर से आर्थिक सहायता	–
3.5	बीजोपचार		रासायनिक बीजोपचार के लिये कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 40रू प्रति किला सहायता	50 प्रतिशत
3.6	फेरोमेन ट्रेप		फेरोमेन ट्रेप में निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रू प्रति हैक्टर	50 प्रतिशत

कृषि विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
3.8	पौध संरक्षण यंत्र		हस्तचलित यंत्र की निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 800रू प्रति स्प्रेयर /डस्टर	50 प्रतिशत
			स्वाक्ति चलित यंत्र की निर्धारित कीमत का 50	50 प्रतिशत
			ट्रेक्टर माउन्टेड यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू 10000 प्रति माउन्टेड यंत्र	50 प्रतिशत
3.9	बायो एजेन्ट		निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू 900 प्रति हैक्टर	50 प्रतिशत
3.10	प्रशिक्षण		राज्य स्तरीय प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण– 30 प्रसार कार्यकर्ताओं के 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये रू 15000	–
			फेसीलेटर्स को प्रशिक्षण– प्रति प्रशिक्षण रू दस लाख का प्रावधान, जिसके अंतर्गत 30 प्रशिक्षणार्थियों को बीज से बीज तक का प्रशिक्षण	–
4	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत श्रेणी तथा सामान्य वर्ग के कृषक		–
4.1	फील्ड प्रदर्शन		अधिकतम रू.1000/ प्रति प्रदर्शन, प्रति एकड़ अनुदान	–
4.2	प्रशिक्षण		कृषक प्रशिक्षण के लिये अधिकतम रू. 10000/ प्रति प्रशिक्षण	–
4.3	बीजोत्पादन पर सहायता		आधार बीज उत्पादन पर रू.200/ प्रति क्विंटल (कृषक के लिये रू. 150/ तथा सस्था के लिये रू.50)	–
4.4	प्रमाणित बीज वितरण		10 वर्ष के अदंर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूं,जौ,धाल,ज्वार,बाजरा,कोदों,कुटकी,रागी बीज पर रू. 200/प्रति क्विंटल	–
4.5	अंतरवर्तीय फसलों को बढ़ावा		उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त गेहूं फसल में सरसों,अलसी,मटर शामिल करते हुए रूप्ये 60/ प्रति 2 किलो बीज मिनिकिट	–
4.6	बीज उत्पादन कार्यक्रम		शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों बीज निगम,तिलहन संद्य, कृषि विश्व विद्यालय के प्रक्षेत्रों के 10 किलो मीटर परिधि के लघु एवं सीमांत कृषको को लाभकारी खाद्यान्न फसलों के उन्नत किस्मों के आधार/प्रमाणित नंबर एक श्रेणी के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जायेगे। कृषक द्वारा कम से कम आधा ऐड़ क्षेत्र में कार्यक्रम लिया जायेगा। अधिकतम एक हैक्टर तक अनुदान की पात्रता होगी	–
4.7	जैव कीटनाशक		25 प्रतिशत अथवा रू. 500/ प्रति हैक्टर जो भी कम हो	75 प्रतिशत

कृषि विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
4.8	बीज स्वावलम्बन		कृषक द्वारा धारित भूमि का 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज 25 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगां	75 प्रतिशत
4.9	आई.पी.एम. प्रदर्शन पर प्रशिक्षण		कृषक खेत पाठशाला (एफ.एफ.एस.)प्रति प्रशिक्षण 30 कृषकों के लियें रू. 17000 प्रति कृषक पाठशाला	–
5	मैक्रोमैनेजमेंट सतत गन्ना विकास योजना	सूचित जाति/जनजाति, लघु और सीमांत श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के कृषक		–
5.1	कृषक प्रशिक्षण		30 कृषकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण पर रू.10000 प्रति प्रशिक्षण	–
5.2	कृषक भ्रमण कार्यक्रम		राज्य के बाहर 12 दिवस तक 20 कृषकों को भ्रमण कराने हेतु 50000रू.	–
5.3	गन्ना बीज कार्यक्रम		उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत अथवा रू.2000 प्रति हैक्टर	–
6	आय.एन.एम. बेलेंस एंडः इंटीग्रेटेड यूज आफ फर्टिलाइजर	अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति के लद्यु एवं सीमांत कृषको		–
6.1	नील हरित काई कल्चर		25 प्रतिशत अथवा रू.1000 प्रति क्विंटल जो भी कम हो	75 प्रतिशत
6.2	हरी खाद बीज वितरण		कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू 500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो	75 प्रतिशत
6.3	वर्मी कम्पास्टिंग इकाई		प्रति इकाई/प्रति कृषक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू.500 जो भी कम हो।	75 प्रतिशत
6.4	कृषक प्रशिक्षण		प्रति प्रशिक्षण पर रू. 6000 मात्र	–
7	सूरज धारा योजना	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लद्यु एवं सीमांत कृषको	कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहन फसलों का उन्नत बीज (1 हैक्टर की सीमा तक) प्रदान किया जाएगा। कृषक को उनके बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत के 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।	25 प्रतिशत
7.1	बीज की अदला बदली			

कृषि विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
7.2	बीज स्वावलम्बन		कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार /प्रमाणित बीज,75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय	25 प्रतिशत
7.3	बीज उत्पादन कार्यक्रम		तिलहनी/दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये चुने गये 43 शासकीय प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषको`के खेतो पर (कम से कम आधा एकड़ खेत्र) बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार/प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाएगा। बीज प्रमाणीकरण के लिये लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय होगा।उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण।	25 प्रतिशत
8	अन्नपूर्णा योजना	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लद्यु एवं सीमांत कृषको		
8.1	बीज की अदला बदली		कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसल के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक अनाज फ़सलों के उन्नत बीज का प्रदाय। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान,अधिकतम रू 1500। कृषक के पास बीज उपलब्ध नही होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत राशि नगद ली जाति हैं।	बीज के बदले 25 प्रतिशत बीज नही होने पर
8.2	बीज स्वावलम्बन		कृषकों को धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार प्रमाणित बीज,75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय	25 प्रतिशत
8.3	बीज उत्पादन कार्यक्रम		चुने गये 43शायकीय प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर परिधि में कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड़ खेत्र) बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार/प्रमाणित–1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगा। अधिकतम 1 हैक्टर तक अनुदान की पात्रता। बीज प्रमाणीकरण के लिये जगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषको को निर्धारित कीतम पर वितरण।	–

कृषि विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
9	राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिको को	केन्द्र शासन द्वारा पोषित इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 1 से 10 घन मीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर निम्नानुसार अनुदान देय हैं	–
			3500 रू प्रति संयंत्र	–
		अन्य कृषकों को	2700 रू. प्रति संयंत्र	–
			शौचालय से जोड़े गये संयत्रो पर रू 500/ प्रति संयत्र के मान से अतिरिक्त अनुदान	–
10	नलकूप खनन (लघु सिंचाई)	अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों	सफल/असफल नलकूप खनन पर कृषकों के लिये लागत का 75 प्रतिशत,अधिकतम रू 15000, जो भी कम हो अनुदान देय।	25 प्रतिशत
11	नलकूप पर पंप स्थापना	अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों	लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू 9000 जो भी कम हो अनुदान देय	25 प्रतिशत
12	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	सभी अधिसूचित फसलो के लिये संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों के लिये तथा अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक		–
13	मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम	सामान्य कृषकों के लिये		5 रूपये प्रति नमूना,
		अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों		3 रूपये प्रति नमूना
14	सूक्ष्म तत्व विश्लेषण के लिये	सामान्य कृषकों के लिये		40 रूपये प्रति नमूना
		अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये		30 रूपये प्रति नमूना
15	विशेष कार्यक्रम	प्रत्येक कृषक	स्वाइल हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध जा रहे हैं इस कार्ड में उनके खेत की मृदा के संबंध में संपूर्ण जानकारी संधारित रहेगी।	–

उद्यानिकी विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	फल विकास कार्यक्रम		आम,ऑवला,अमरूद एवं सतंरा का बगीचा लगाने हेतु निर्धारित लागत का 25 प्रतिशत अनुदान प्रति हेक्टर	75 प्रतिशत
			हितग्राही को दो दिवसीय प्रशिक्षण	–
2	टॉपवर्किंग योजना		बेर, आम,ऑवला के देशी पौधो को उन्नत किस्म के पौधो में परिवर्तित करने हेतु 20 दिवसीय प्रशिक्षण देकर छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 1200/एवं टूलकिट 400/ कीमत का दिया जाता हैं	–
			टॉप वर्किंग कार्य करने पर प्रत्येक सफल पौधे पर 10/ प्रति पौध अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता हैं	–
3	किचन गार्डन(बाड़ी)	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार	50रू कीमत का सब्जी बीज मिनिकिट निःशुल्क प्रदाय किया जाता हैं	–
4	आलू प्रदर्शन	सभी वर्ग के कृषकों को	480 रूपये का आलू बीज एवं 20रूपये की बीज उपचार औषधि कुल 500रूपये प्रति प्रदर्शन अनुदान दिया जाता है	–
5	समन्वित सब्जी विकास	सामान्य वर्ग	हाईब्रिड/उन्नत साग सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिये कृषकों को 1500 रूपये अनुदान प्रति हेक्टर	–
		अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति	हाईब्रिड/उन्नत साग सब्जीयों की खेती को बढ़ावा देने के लिये कृषकों को 2250 रूपये अनुदान प्रति हेक्टर	–
6	पुष्प प्रदर्शन	सभी वर्ग के कृषकों को	गुलाब, रजनीगंधा,गेंदा,गुलदाउदी आदि प्रमुख पुष्पों के 400 वर्ग मी. में कृषको के यहॉ प्रदर्शन डाले जाते हैं प्रति प्रदर्शन बीज,पौध बल्ब पर 3000रू. अधिकतम अनुदान दिया जाता हैं	–
8	औषधि प्रदर्शन	सभी वर्ग के कृषकों को	औषधीय एवं सुंगधित फसलों के क्षेत्र में विस्तार करने हेतु कृषको को 100रूपये कीमत के मिनिकिट जिसमें अजवाइन,ईसबगोल,सर्पगंधा,अश्व गंधा एवं अन्य फसलों का बीज निःशुल्क प्रदाय किया जाता हैं	–
9	संकर मिर्च उत्पादन	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार	0.500 हेक्टर में 7000/ रू. अनुदान दिया जाता हैं जिसमें बीज,बीजोपचार दवा,खाद, एवं कीटनाशक दवा दिये जाने का प्रावधान हैं	–

उद्यानिकी विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
10	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना	सभी वर्ग के कृषकों को	फलोद्यान लगाने हेतु बैक द्वारा कुल प्रोजेक्ट लागत का 75 प्रतिशत ऋण भूमि की वर्तमान कीमत अनुसार दिया जाता हैं जिसमें राष्ट्रीय बागवानी बार्ड द्वारा 20 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता हैं	80 प्रतिशत
11	माईक्रो इरीगेशन योजना			–
	ड्रिप सयंत्र सौंपना	सभी वर्ग के कृषकों को	उद्यानिकी फसलों में ड्रिप सौंपना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हितग्राही को अधिकतम 5 हेक्टर तक अनुदान दिया जाता हैं	50 प्रतिशत
	ड्रिप सयंत्र स्थापना	सभी वर्ग के कृषकों को	टपक सिंचाई प्रणाली में कृषकों को प्रति लाभार्थी को 0.500 हेक्टर तक अधिकतम लागत का 75 प्रतिशत या 7500 रू. अनुदान दिया जाता हैं	–

मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	मार्जिन मनी		• ग्रामीण उद्योग के लिये 25 लाख तक का ऋण	10 प्रतिशत और अ.ज. और अ.ज.ज. के लिये 5 कुल लागत का प्रतिशत
2	ग्रामीण कारीगरों का प्रशिक्षण	• अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति	• क्षमता वर्धन का प्रशिक्षण जिससे उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके	_
3	खादी कपड़े पर छूट	• खादी के उत्पादन केन्द्र	• 10 प्रतिशत उत्पादन का अनुदान	_
4	सूत कातने पर अनुदान	• सूत कातने वाले	• 20 पैसा प्रति गुन्डी की दर से मजदूरी का भुगतान	_
5	कच्चे माल पर सहायता	• खादी उत्पादन केन्द्र	• कच्चा माल खरीदने कि लिये सहायता	_
6	विपणन में सहायता	• व्यक्तिगत या संस्थागत उत्पादन केन्द्र	• बिक्री काउन्टर, गुणवत्ता पर नियत्रण और पैकेजिंग के माध्यम से सहायता	_

पशु पालन विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	काकरेल योजना	• व्यक्तिगत • गरीबी रेखा के नीचे का परिवार	• 50 एक दिन के चूजे	—
2	राष्ट्रीय गाय एवं भैंस बीडिंग कार्यक्रम	• क्षेत्र विकास	• कृ.मि गर्भाधान की अधोसंरचना एवं सेवाओं में बढ़ोतरी	—
3	गौ सेवक	• व्यक्तिगत • 10 वीं उत्तीर्ण	• 6 माह का प्रशिक्षण	प्रशिक्षण का खर्चा
4	जरसी योजना	• व्यक्तिगत • सीमान्त और छोटे किसान और कृषि श्रमिक	• जरसी गाय के लिये संतुलित आहार • रु 5000 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति और रुपये 3000 सामान्य परिवारों के लिये	—
5	बकरा —बक— योजना	• व्यक्तिगत • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति	• उत्तम नस्ल का बकरा	10 प्रतिशत
6	बोर वितरण	• अनुसूचित जाति	• 2650 रुपये का योरकशायर नस्ल का बोर	10 प्रतिशत
7	सूकर पालन	• अनुसूचित जन जाति	• 7100 रुपये के 2 योरकशायर नस्ल की सूअर और 1 योरकशायर नस्ल का बोर	10 प्रतिशत
8	नन्दी शाला		• प्राकृतिक नस्ल सुधार • लागत 14000 रुपये	20 प्रतिशत
9	पोल्ट्री यूनिट	• अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति	• 800 रुपये के 15 दिन के 55 चूजे	25 प्रतिशत
10	एफ.एम.डी. टीकाकरण		• एफ.एम.डी. का टीकाकरण	50 प्रतिशत

ग्रामीण विकास विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	राजीव गांधी जल ग्रहण विकास कार्यक्रम	क्षेत्र विकास	• स्व सहायता समूह एवं जल ग्रहण विकास समिति का प्रशिक्षण • मेढ़ बन्धान • मृदा संरक्षण के कार्य • पाना रोकने की संरचनाऐं • वृक्षारोपण	–
2	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगाार योजना	समूह	• प्रशिक्षण • बैंक से क्रेडिट	–
3	विशेष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगाार योजना	समूह	• प्रशिक्षण • बैंक से क्रेडिट • समूह आधारित उद्यम	–
4	संपूर्ण ग्रामीण रोजगाार योजना	क्षेत्र विकास	• रोजगाार का सृजन • सामुदायिक संरचनाऐं	–
5	इन्दिरा आवास योजना	व्यक्तिगत	• आवास	–
6	प्रधान मन्त्री ग्रामोदय आवासीय योजना	व्यक्तिगत	• आवास	–
7	प्रधान मन्त्री सड़क योजना	क्षेत्र विकास	• रोजगार • सामुदायिक संरचनाऐं	–
8	राष्टीय ग्रामीण रोजगाार योजना	क्षेत्र विकास एवं व्यक्तिगत	• रोजगार • सामुदायिक संरचनाऐं	–
9	पिछड़ा क्षेत्र फण्ड	क्षेत्र विकास	• पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण • सामुदायिक संरचनाऐं	–

ग्रामीण विकास विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
10	ग्रामीण व्यापार केन्द्र	क्षेत्र विकास	व्यापार के लिये आधारभूत संरचना	–

रेशम विभाग				
	योजना का नाम	हितग्राही पात्रता	हितग्राही को जो प्राप्त होगा	हितग्राही अंशदान
1	प्रशिक्षण एवं शोध	व्यक्तिगत और सामूहिक		–
2	मलबरी रेशम विकास	भूमिहीन कृषि श्रमिक सामूहिक	• को 1 एकड़ सरकारी जमीन पर रेशम के अधिकार भूमिहीन कृषि श्रमिक के परिवार को दिये जाते हैं • भूमिहीन कृषि श्रमिक को 6500 रु चक्रीय राशि के रुप में	सामूहिक
3	टसर रेशम विकास	भूमिहीन कृषि श्रमिक सामूहिक	• उपकरण, भवन और सिंचाई के लिये राशि	25 प्रतिशत
4	उद्यमियो को सहायता	समूह	• डिजाइन, निर्यात आदि में सहायता	–
5	एरी रेशम विकास	व्यक्तिगत और सामूहिक	• प्रशिक्षण एवं उद्यमी विकास	–

परिशिष्ट 3 संस्थागत संबंधों का विश्लेषण

तलिका 1

स्थिति			संस्था से सम्बन्धित	वन समिति से संबंधित
महत्व- भूमिका-	*कोई नही* *कोई नही*	*या कम* *या कम*	• संस्था को वन समिति की आजीविका संवर्धन के उद्देश्य की जानकारी नहीं • संस्था की वन समिति के साथ संवादहीनता • संस्था की कार्य प्रणाली में वन समिति के साथ कार्य करने की बाध्यता नहीं	- समिति को संस्था की योजनाओं की जानकारी नहीं - समिति की संस्था तक पहुँच नहीं - समिति को संस्था की योजनाओं के प्रस्ताव या प्रकरण बनाने के तारीके की जानकारी नहीं
महत्व- भूमिका-	*मध्यम या* *कोई नहीं*	*अधिक* *या कम*	- संस्था की योजनाओं की मांग है पर पूर्ती नहीं हो पा रही है - संस्था द्वारा गांव संबंधित योजना निर्माण में कमी - संस्था का गांव से सततः एवं नजदीकी सम्पर्क नहीं हो पा रहा है	- संस्था द्वारा दी जाने वाली मदद की मांग अधिक है ओर उसकी पूर्ती नहीं हो पा रही है - संस्था से अधिक अपेक्षाऐं - संस्था की गतिविधियों का विस्तार कैसे हो ?
महत्व- भूमिका-	*कोई नहीं* *मध्यम या*	*या कम* *अधिक*	- संस्था लक्षित समूह तक नहीं पहुँच पा रही है - संस्था द्वारा कार्यक्रमों को पूरी तरह क्रियान्वित करने में कमी	- संस्था की योजनाओं द्वारा दी जा रहीं मदद से अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा (राशि कम/मात्रा कम)
महत्व- भूमिका-	*मध्यम या* *मध्यम या*	*अधिक* *अधिक*	- वन समिति में सतत सम्पर्क - वन समिति की योजनाओं में भागीदारी	- संस्था की योजनाऐं प्रासंगिक एवं लाभकारी - संस्था तक पहूँच एवं गहरा रिश्ता

उपरोक्त तालिका में जो स्थितियों का विश्लेषण दिया है वह सिवनी जिले में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है।